मजदूरी संहिता, 2019

खंडों का क्रम

अध्याय 1
प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।
3. लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध ।
4. सामान या उसी प्रकृति के कार्य के संबंध में विवादों का विनिमय ।

अध्याय 2
न्यूनतम मजदूरी
5. मजदूरी की न्यूनतम दर का संदाय ।
6. न्यूनतम मजदूरी को नियत करना ।
7. न्यूनतम मजदूरी के सघंटक ।
8. न्यूनतम मजदूरी को नियत करने और उसकी पुनरीक्षा करने की प्रक्रिया ।
9. केन्द्रीय सरकार की न्यूनतम मजदूरी नियत करने की शक्ति ।
10. सामान्य कार्य के दिवस से कम के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी ।
11. कार्य के दो या अधिक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी ।
12. मात्रानुपाती काम के लिए न्यूनतम समय मजदूरी ।
13. सामान्य कार्य के दिवस के लिए कार्य के नियत घंटे ।
14. अनिकाल के लिए मजदूरी ।

अध्याय 3
मजदूरी का संदाय
15. मजदूरी के संदाय का ढंग ।
16. मजदूरी अवधि को नियत करना ।
17. मजदूरीयों के संदाय के लिए समय-सीमा ।
18. करोटियां, जो मजदूरी से जा सकेंग ई ।
19. जुमाना ।
20. काम से अनुपस्थिति के लिए कटोरियां ।
21. नुकसानी या हानि के लिए कटोरियां ।
22. दो गई सेवाओं के लिए कटोरियां ।
23. अनिकाल की वसूली के लिए कटोरियां ।
खंड

24. उधार की वसूली के लिए कटौती।
25. अध्याय का सरकारी संस्थापनों को लागू न होना।

अध्याय 4

बोनस का संदाय

26. बोनस के लिए पात्रता।
27. क्लियय मामलों में बोनस में कमी का अनुपात।
28. काम के दिनों की संख्या की संगणना।
29. बोनस के लिए अनहुला।
30. स्थायित्व, जिसके अंतर्गत विभाग, उपक्रम और शाखाएं।
31. आवंटित अतिशेष से बोनस का संदाय।
32. सकल लाभ की संगणना।
33. उपलब्ध अतिशेष की संगणना।
34. सकल लाभों से कटौती योग्य राशियाँ।
35. नियोजक द्वारा संदेय प्रत्यक्ष का परिकलन।
36. आंकदीय अतिशेष का आगे के लिए रखा जाना और मुजरा किया जाना।
37. इस संहिता के अधीन संदेय बोनस के विस्तृत सूत्र या अंतरिम बोनस का समायोजन।
38. संदेय बोनस में से क्लियय रकमों की कटौती।
39. बोनस के संदाय के लिए समय परिसीमा।
40. क्लियय दशाओं में पब्लिक सेक्टर स्थायियों को इस अध्याय को लागू होना।
41. इस अध्याय का लागू न होना।

अध्याय 5

सलाहकार बोर्ड

42. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड।

अध्याय 6

शोध्यों, दावों का संदाय और लेखापरीक्षा

43. विश्लेषण शोध्यों का संदाय करने का उत्तरदायित्व।
44. किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में विश्लेषण असंवितररत शोध्यों का संदाय।
45. संहिता के अधीन दावे और उनकी प्रक्रिया।
46. संहिता के अधीन बाहरी निदेश।
47. निगमों और कंपनियों के नेशन-पैक्ड और लाभ और हानि लेखे के सही होने के संबंध में अवधारणा।
48. नियोक्ताओं, जो निगम या कंपनी नहीं हैं, के लेखाओं की लेखापरीक्षा।
49. अपील।
50. अभिलेख, रिटर्न्स और सूचनाएं।
खंड

अध्याय 7

निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता

51. निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी शक्तियां।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

52. अपराधों का संज्ञान।
53. कथितावर्तमान मामलों में सरकार के समुचित अधिकारियों की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति।
54. अपराधों के लिए शास्तियां।
54. कंपनियों द्वारा अपराध।
56. अपराधों का प्रशमन।

अध्याय 9

प्रकरण

57. वाद का वर्जन।
58. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
59. सबूत का भार।
60. संविदा द्वारा त्यजन।
61. इस संहिता से असंगत विधियों, करारों आदि का प्रभाव।
62. शक्तियों का प्रत्ययोजन।
63. कथितावर्तमान मामलों में नियोक्तों को दायित्व से छूट।
64. सरकार के पास नियोक्तों की आस्तियों की कुर्की के विरुद्ध संरक्षण।
65. केंद्रीय सरकार की नियंत्रण देने की शक्ति।
66. व्यावस्थित।
67. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
68. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
69. निरसन और व्यावस्थित।
2019 का विधेयक संख्यांक

[दि कोड आन वेलिज, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

मजदूरी संहिता, 2019

मजदूरी और बोनस संबंधी विधियों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंधिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतर्क वर्ष में संसद द्वारा निर्माणशील रूप में यह अधिनियमित हो वि:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मजदूरी संहिता, 2019 है।
(2) इसका विस्तार संपूण्य भारत पर है।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमित करे; और इस संहिता के मिल्ल-मिल्ल उपबंधों के लिए मिल्ल-मिल्ल तारीखें मिल्ल की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस संहिता के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

2. इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “लेखा वर्ष” से अप्रैल के पहले दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष अभिवृत्त है;
(ख) “सरहदकार बोर्ड” से, स्थायित्व, केन्द्रीय सरहदकार बोर्ड या धारा 42 के अधीन गठित राज्य सरहदकार बोर्ड अभिवृत्त है;
(ग) “कृषि आय-कर विधि” से कृषि आय पर कर के उद्धरण के संबंध में तत्समय प्रबृत्त कोई विधि अभिलेख है।

(घ) “समृद्धि सरकार” से–

(i) केंद्रीय सरकार के संबंध में, केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाया जाने वाला कोई स्थापना या तेल क्षेत्र, महामार्ग, वायु परिवहन सेवा, दूर संचार, बैंककारी और बीमा कंपनी या कार्यालयों या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम या अन्य प्राधिकरण या केंद्रीय विभाग सेकेंट उपक्रम या केंद्रीय लोक पखलिक सेकेंट उपक्रम द्वारा स्थापित समस्त कंपनियों या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व एवं उनके संबंध में नियंत्रित स्वायत्तशासी निकाय, जिसके अंतर्गत, यथास्थितियत, स्थापना, निगम या अन्य प्राधिकरण, केंद्रीय सेकेंट उपक्रम, समस्त कंपनियों या स्वायत्तशासी निकायों के प्रयोजन के लिए ठेकेदारों के स्थापना भी हैं।

(ii) राज्य सरकार के संबंध में कोई अन्य स्थापना, अभिलेख है।

(ङ) “कंपनी” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिचित कोई कंपनी अभिलेख है।

(ळ) “ठेकेदार” से किसी स्थापना के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिलेख है जो–

(i) किसी स्थापना को केवल माल या विभिन्न वस्तुओं का प्रदाय करने से मिलने कोई निर्धित परिणाम ठेका श्रमिकों के माध्यम से उस स्थापना के लिए संपन्न करने का जिम्मा लेता है; या

(ii) उस स्थापना के किसी काम के लिए मानव संसाधन के रूप में ठेका श्रमिक उपलब्ध करता है और इसके अंतर्गत उप ठेकेदार भी है।

(छ) “ठेका श्रमिक” से ऐसा कर्मचारी अभिलेख है जो किसी स्थापना के कार्य में नियोजित किया गया या संस्कृत समझ जाए जब वह प्रधान नियोजक के जान संबंध या जान रहित, ठेकेदार द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से ऐसे कार्य के लिए भाड़े में लिया गया है या संस्कृत है और इसके अंतर्गत अंतरराज्यक व्यापारी कर्मचारी हैं किंतु इसके अंतर्गत ऐसा कर्मचारी (अंतरालक श्रमिक तथा अन्य) नहीं आता है जो–

(i) अपने स्थापना और अपने नियोजन के किसी क्रियाकलाप के लिए ठेकेदार द्वारा नियोजित रूप से नियोजित है, नियोजन (जिसके अंतर्गत स्थापना और नियुक्ति भी है) की शर्त के परम्पर स्वीकृत मानक द्वारा शासित होता है; और

(ii) तत्समय प्रबृत्त ऐसे नियोजन के लिए विधि के अनुसार कालिक वेतनवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र और अन्य कल्याणकारी फायदे प्राप्त करता है।

(ज) “सहकारी सोसाइटी” से सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 या सहकारी सोसाइटियों के संबंध में किसी राज्य में तत्समय प्रबृत्त किसी अन्य विधि के अधीन
रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी या रजिस्ट्रीकृत समझौता गई सोसाइटी अभिव्यक्त है ;

(इ) "निगम" से किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगमित निकाय अभिव्यक्त है, किंतु इसके अंतर्गत कोई कंपनी या कोई सहकारी सोसाइटी नहीं है ;

(ट) "प्रत्यक्ष कर" से —

1961 का 43

(i) (अ) आय-कर अधिनियम, 1961 से ;

1964 का 7

(आ) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 ;

(इ) कृषि आय-कर विधि के अधीन प्रभायक कोई कर ; और

(ii) कोई अन्य कर, जो अपनी प्रकृति या आपत्ति को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष कर के रूप में घोषित कर सकती, अभिव्यक्त है ;

1961 का 52

(ट) "कर्मचारी" से शिशु अधिनियम, 1961 के अधीन लगे किसी शिशु से भिन्न कोई व्यक्ति अभिव्यक्त है, जो अद्वित्य या पारिप्रवर्तिक के लिए किसी स्थापना द्वारा कुशल, अद्वित्यकुशल या अकुशल, शारीरिक, फ़ाइलर, पद्धति का, प्रशासनिक, शासनिक, तकनीकी या लिपिविद्या कार्य के लिए मजदूरी पर नियोजित है या उसके नियोजन की दशा में नियोजित या विवेकित है और इसके अंतर्गत समस्त सरकार द्वारा नियोजित के रूप में घोषित कोई व्यक्ति भी है किंतु इसके अंतर्गत संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य नहीं होगा ;

1948 का 63

1948 की धारा 2 के खंड (द) के अनुसार किसी स्थापना के संबंध में जो कारखाना है, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (द) में यथा परिभाषित किसी कारखाने का अधिष्ठाता और जहां उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कारखाने के प्रबंधक के रूप में नामित कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा ;

(ii) किसी अन्य स्थापना के संबंध में जो व्यक्ति या प्राधिकारी जिसका स्थापना के मामलों पर अंतिम नियंत्रण रहता है और जहां ऐसे मामले को किसी प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को सौंपे गए हैं, ऐसा प्रबंधक या प्रबंध निदेशक ; और

(iii) ठेकेदार ;

(iv) किसी मृत नियोजक के विधिक प्रतिनिधि ;
(३) "स्थापन" से कोई स्थान अभिलेख है, जहां कोई उद्धोग, व्यापार, कारखाना, विनिर्माण या वृत्तिः संचालित की जाती है और जिसके अंतर्गत सरकारी स्थापन भी हैः

(५) "कारखाना" से कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (५) में यथा परिभाषित कारखाना अभिलेख हैः

(ण) "सरकारी स्थापन" से सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का कोई कार्यालय या विभाग अभिलेख हैः

(त) "अधिकारिक विवाद" से—

(i) नियोजक और नियोजित के मध्य या नियोजक और कर्मचारी के मध्य या कर्मचारी तथा कर्मचारी के मध्य कोई विवाद या मतभेद अभिलेख है, जो किसी व्यक्ति के नियोजक या गैर-नियोजक या नियोजन की शर्तें या अभिलेख की दशाओं से संबंधित है और

(ii) किसी व्यक्ति के कर्मचारी और नियोजक से संबंधित कोई विवाद या मतभेद अभिलेख है, जो ऐसे कर्मचारी के उन्मोचन, पदार्पण, छंटना या समाप्ति से संबंधित या उत्पन्न होः

(द) "निरीक्षक-सह-सुनकार" से समग्र सरकार द्वारा धारा 51 की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिलेख हैः

(थ) "न्यूनतम मजदूरी" से धारा 6 के अधीन नियुक्त मजदूरी अभिलेख हैः

(न) "अधिसूचना" से, अधिसूचना, भारत के राज्यों या किसी राज्य के राज्य अंतर्गत व्यक्ति की अधिसूचना अभिलेख है और "अधिसूचित" पद का इसके व्यक्तिक के पारंपरिक नियोजन के संबंध में समाजीय पदों के तदनुसार अस्थायी अन्तर आधुनिक नियंत्रण और स्थायी पदों के उत्पादन अभिलेख हैः

(प) "विविध कायम" से समग्र सरकार द्वारा बनाए जाए गए नियोजन द्वारा विविध अभिलेख हैः

(फ) "समान कार्य" के अंतर्गत सभी पारंपरिक चारे व्यक्ति के समान कार्य" से ऐसा कार्य अभिलेख है जिसके संबंध में समान कार्य की अपेक्षा है जब किसी कर्मचारी द्वारा व्यक्ति ही कार्य के संबंध में किसी अधिनियम अंतर आधुनिक नियोजन द्वारा बनाए जाए गए नियोजन द्वारा कार्य की अपेक्षा है जब किसी कर्मचारी द्वारा व्यक्ति ही कार्य के संबंध में किसी अधिनियम अंतर आधुनिक नियोजन द्वारा बनाए जाए गए नियोजन द्वारा कार्य की अपेक्षा है जब किसी कर्मचारी द्वारा व्यक्ति ही कार्य के संबंध में किसी अधिनियम अंतर आधुनिक नियोजन द्वारा बनाए जाए गए नियोजन द्वारा कार्य की अपेक्षा है

(ब) "राज्य" के अंतर्गत संघ राज्यस्थल भी हैः

(भ) "अधिकारी" का इसके अर्थ होगा, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (५) में हैः

(म) "मजदूरी" से धन के रूप में अभिलेख के अर्थ से ऐसा कार्य अभिलेख है जब किसी कर्मचारी द्वारा व्यक्ति ही कार्य के संबंध में किसी अधिनियम अंतर आधुनिक नियोजन द्वारा बनाए जाए गए नियोजन द्वारा कार्य की अपेक्षा है जब किसी कर्मचारी द्वारा व्यक्ति ही कार्य के संबंध में किसी अधिनियम अंतर आधुनिक नियोजन द्वारा बनाए जाए गए नियोजन द्वारा कार्य की अपेक्षा है जब किसी कर्मचारी द्वारा व्यक्ति ही कार्य के संबंध में किसी अधिनियम अंतर आधुनिक नियोजन द्वारा बनाए जाए गए नियोजन द्वारा कार्य की अपेक्षा है।
विविध निबंधों की पूर्ति हो गई होती तो, उसके नियोजन की बाबत या ऐसे नियोजन में किए गए काम की बाबत उसे संदेह होता, और निम्नलिखित इसके अंतर्गत आते हैं—

(i) मूल वेतन ;

(ii) महंगाई भत्ता ; और

(iii) प्रतिदिन्त्रण भत्ता, यदि कोई हो ;

किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं—

(क) तससमय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेह कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधों के अधीन संदेह पारिश्रमिक का भाग नहीं है ;

(ख) किसी गृहवास सुविधा का या रोशनी, जल, चिकित्सीय परिचयों या अन्य सुख-सुविधा के प्रदाय का या किसी ऐसी सेवा का मूल्य, जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी की संगणना से अपवित्र है ;

(ग) किसी पैशान या भविष्य-निदित्त के नियोजक द्वारा संदेह कोई अभियाव और व्याज जो उस पर प्रोक्तम तुम्हारा हो ;

(घ) कोई बाहर भत्ता या किसी रियायत का मूल्य ;

(ङ) किसी नियोजित स्वभाव को विशेष व्यय चुकाने के लिए संदेह कोई राशि, जो उसे अपने नियोजन की प्रकृति के कारण उठाने पड़े ;

(च) मकान किराया भत्ता ;

(छ) पश्चातरो के बीच के किसी अधिनियम या समझौता अथवा किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश के अधीन संदेह पारिश्रमिक ;

(ज) कोई अतिकाल भत्ता ;

(झ) कर्मचारी को संदेह कोई कमीशन ;

(ञ) नियोजन के पर्यवसित होने पर संदेह कोई उपदान ;

(ट) किसी कर्मचारी को कोई छंटनी प्रतिक या कोई सेवानिवृत्त लाभ या नियोजन के पर्यवसाय पर उसे कोई अनुशरणपर्वक किया गया संदेह ;

परंतु यह कि इस खंड के अधीन मजदूरी की संगणना के लिए आधे से अधिक या ऐसे अन्य प्रतिशत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, यदि खंड (क) से (झ) के अधीन नियोजन द्वारा संदेह किया गया है तो इस खंड के अधीन वित्ति-रूपी सभी पारिश्रमिक के रकम के आधे से अधिक से इस प्रकार अधिसूचित प्रतिशत से अधिक है, संदेह किया गया है, पारिश्रमिक के रूप जोड़ी जाएगी, इस खंड के अधीन सभी पारिश्रमिकों में तदनुसार जोड़ी जाएगी :

परंतु यह कि सभी लिंगों के लिए समान मजदूरी के प्रयोजन के लिए और मजदूरी के संदेह के प्रयोजन के लिए खंड (घ), खंड (छ), खंड (छ) और खंड (ज) में निदिष्ट उपलब्धियां मजदूरी के संगणना के लिए ली जाएंगी ।
स्पष्टीकरण—जहां कोई कर्मचारी उसे संदेह योग्य मजदूरी के पूर्णतः या भागतः उसके बदले उसके नियोजक द्वारा वस्तु रूप में ऐसे पारीश्वरिक का मूल्य जो उसको संदेह कुछ मजदूरी के पंद्रह प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है वस्तु रूप में ऐसे पारीश्वरिक कर्मचारी की मजदूरी के भाग के रूप में समझा जाएगा।

(य) "कर्मचार" से कोई ऐसा व्यक्ति [शिखु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (कक) के अधीन यथाप्रसारित किसी शिखु को खोजकर] अभिप्रेत है जो किसी उद्योग में आदेय या नाम के लिए कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, संक्रियात्मक या लिपीमी कर्मविकाशी कार्य करने के लिए नियोजित है चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हो या विवशिष्ट और जिसके अंतर्गत—

(i) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्त) और प्रतिप्रण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खंड 4 ; और
(ii) विक्रम संरक्षित कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (प) में यथाप्रस्तावित विक्रम संरक्षित और अतिथिगत विवाद संबंधी इस संहिता के अधीन किसी पूर्ववर्ती प्रयोजन के लिए, जिसमें ऐसे किसी व्यक्ति को उस विवाद के अनुकूल या परिणामस्वरूप पदच्युत, सेवोनमुक्त अथवा अन्यथा परिवर्तित किया गया हो अथवा जिसका वह विवाद पदच्युत, सेवोनमुक्त अथवा छोटी कारण बना है, भी है

कितु इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो—

(क) वायुसेना अधिनियम, 1950, या सेना अधिनियम, 1950, या नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन होगा ; या

(ख) पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो ; या

(ग) सुचतः प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित हो ; या

(घ) प्रतिमास पंद्रह हजार रुपए या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिमुखित रकम से अधिक मजदूरी पाने वाला पर्यवेक्षी हैसियत में नियोजित हो।

3. (1) कर्मचारियों के बीच किसी घोषणा या उसके किसी यूनिट में मजदूरी के संबंध में लिंग के आधार पर समान कार्य या किसी कर्मचारी द्वारा उसी प्रकृति के कार्य के संबंध में कोई शेषभाव नहीं होगा।

(2) कोई नियोक्ता,—

(i) उधार (1) के उपबंधों का अनुपालन करने के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी की मजदूरी की दर को कम नहीं करेगा ; और

(ii) समान कार्य या समान रूप प्रकृति के कार्य के लिए किसी कर्मचारी की भारी करने समय लिंग के आधार पर कोई शेषभाव, नियोजन की शर्तों के अनुसार, ऐसे कार्य या महिला नियोजन तस्मय प्रस्तुत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रतिप्रण का निजीरिच्छत है।
4. जहां इस संबंध में कि धारा 3 के प्रयोजनों के लिए कोई कार्य समान है या समान प्रकृति का है, के संबंध में किसी विवाद का विविधत्व ऐसे प्राथिकारी दृष्टि किया जाएगा जो समृद्धित सरकार दृष्टि और अन्धूति किया जाए ।

अध्याय 2

न्यूनतम मजदूरी

5. नियोजित किसी कर्मचारी को समृद्धित सरकार दृष्टि और अन्धूति मजदूरी की न्यूनतम दर से, कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा ।

6. (1) धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समृद्धित सरकार धारा 8 के उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दर को नियत करेगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए समृद्धित सरकार,—

(क) कालानुपाती काम के लिए; या

(ख) मासानुपाती काम के लिए; या

(3) जहां कोई कर्मचारी, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए मात्रानुपाती काम पर नियोजित है, वहां समृद्धित सरकार, कलानुपाती काम पर मजदूरी की न्यूनतम दर पर ऐसे कर्मचारी की आवश्यकता के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करेगी ।

(4) समय कायय के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर को निम्नलिखित एक या अधिक मजदूरी कालबिधियों के अनुसार नियत किया जा सकेगा, अर्थातः—

(i) घंटे दृष्टि के लिए; या

(ii) दिवस दृष्टि के लिए; या

(iii) मास दृष्टि के लिए

(5) जहां मजदूरी की दरों को घंटे या दिन या मास दृष्टि नियत किया जाता है वहां मजदूरी की संगणना करने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए ।

(6) इस धारा के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के प्रयोजन के लिए समृद्धित सरकार,—

(क) अगुश्ल, कुशल, अर्थकुशल और अतिकुशल प्रवर्गों के अधीन अथवा वैधिक क्षेत्र या दोनों के अधीन कार्य करने के लिए अपेक्षित कर्मचारी के कुशल को मुख्यतः ध्यान में रखेगा; और

(ख) कर्मचारियों के कार्य के लिए मजदूरी की ऐसी न्यूनतम दर के अनुसार उनके कार्य की कठिनाई को, जैसे तापमान या सामान्यता: नमी को सहन करना, परिवर्तनशील उपजीविकाएं या प्रक्रियाएं अथवा ऐसे भूमिगत कार्य, जिसे उस स्तर पर दृष्टि ध्यान में रखेगा; और

(ग) मजदूरी की ऐसी न्यूनतम दर के मानकों विद्यमान करेगा

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों की संख्या, यथासंभव, समृद्धित सरकार दृष्टि न्यूनतम रखा जाएगा ।
7. (1) सम्मुख सरकार द्वारा धारा 8 के अधीन नियत या पुनरीक्षित मजदूरी की किसी दर में निम्नतम शासित किए जा सकेंगे—

(क) ऐसे अंतरालों और ऐसी रीति में समायोजित की जाने वाली मजदूरी की आधारभूत दर और विशेष भत्ते की ऐसी दर, जो सम्मुख सरकार ऐसे कर्मचारियों को लागू निवाहित्व नूतनत कंकान संधियों (जिसे इसमें इसके पश्चात “निवाहित्व भत्ते की लागू” कहा गया है) में अन्तर के साथ साध्य निकटतम रूप से प्रदान करने का निदेश दे : या

(ख) मजदूरी की निवाहित्व भत्ता पारसंगत सहित या उसके बिना आधारभूत दर और रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में रियायतों का नकद मूल्य, जहाँ वह प्राथमिकता हो : या

(ग) आधारभूत दर, निवाहित्व भत्ता और रियायतों का नकद मूल्य, यदि कोई हो, को अनुमान करने वाली समीक्षा को सम्मिलित करते हुए दर ।

(2) निवाहित्व भते की पारसंगत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में रियायतों का नकद मूल्य की संगणना ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे अंतरालों और ऐसे निदेशों के अनुसार, जो सम्मुख सरकार द्वारा विनिमित्त किये जाएँ या समय-समय पर दिए जाएँ, के अनुसार उस प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे सम्मुख सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे ।

8. (1) इस संहिता के अधीन पहली बार मजदूरी की न्यूनतम दर को नियत करने या न्यूनतम मजदूरी की दर को पुनरीक्षित करते समय, सम्मुख सरकार या तो—

(क) जांच करने और सिफारिश करने को, यथास्थिति, ऐसे नियत करने या पुनरीक्षित करने के संबंध में उतनी सलमतों या उप सलमतों नियुक्त करेगी जितनी वह आवश्यक समझे ; या

(ख) उससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए अपने प्रस्तावों को अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करेगी और अधिसूचना की तारीख से दो मास से अन्यून तारीख विनिमित्त करेगी जिसको प्रस्तावों को विचारण में लिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन सम्मुख सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक समिति और उप समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी—

(क) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले : या

(ख) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो खंड (क) में विनिमित्त सदस्यों की संख्या के बराबर होंगे ; और

(ग) स्वतंत्र व्यक्ति जो, समिति के कुल सदस्यों से एक तिहाई से अधिक नहीं होंगे ।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन, यथास्थिति, नियुक्त समिति या उप समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात उस धारा के खंड (क) के अधीन अधिसूचना में विनिमित्त तारीख से पूर्व उसके द्वारा प्राप्त समीक्षा अभ्यावदनों पर राज्य सरकार, यथास्थिति, अधिसूचना द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षित कर नियत करेगी और जब तक ऐसी अधिसूचना अन्यथा उपबंध न करे वह उसके जारी होने की तारीख से
तीन मास के अवसान पर प्रत्यूत होगी :

परंतु जहां समुचित सरकार उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट रीति में मजदूरी की न्यूनतम दर को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव करती है वहाँ धारा 42 के अधीन गठित संबंधित सलाहकार बोर्ड से भी परामर्श करेगी।

(4) समुचित सरकार, साधारणतया पांच वर्ष से अनधिक के अंतराल पर मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण या हदिस रिंग करने का प्रतिबन्ध प्रस्ताव करती है वहां धारा 42 के अधीन संबंधित सरकार बोर्ड से भी परामर्श करेगी।

9. (1) केन्रीय सरकार, ऐसी रीति में, जो विहित की जाे, कम से कम कर्मकार की जान के स्तर मान को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी नियत कर सकेगी:

परंतु विशिष्ट राज्य या विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न न्यूनतम मजदूरी नियत की जा सकेगी।

(2) धारा 6 के अधीन समुचित सरकार द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दर न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी क्योंकि पूर्व में समुचित सरकार द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दर न्यूनतम मजदूरी से अधिक है तो समुचित सरकार पूर्व में उसके द्वारा नियत ऐसी न्यूनतम मजदूरी दर में कमी नहीं करेगी।

(3) केन्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन न्यूनतम मजदूरी नियत करने से पूर्व धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्रीय सलाहकार बोर्ड की सलाह आधारित कर सकेगी और राज्य सरकार, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, परामर्श दे सकेगी।

10. यदि कोई कर्मचारी जिसकी मजदूरी की न्यूनतम दर इस संहिता के अधीन दिया गया है किसी दिस को जिससे वह सामान्य कार्य (दिस) का गठन करने वाले अपेक्षित घंटों से कम के लिए नियोजित किया जाता है तो वह इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय उस दिन को एक दिन के संबंध में मजदूरी प्राप्त करने का ऐसे पात्र होगा जाने उसने पूर्व सामान्य कार्य (दिस) का कार्य किया था:

परंतु वह सामान्य पूर्ण कार्य (दिस) के लिए मजदूरी नियत करने का पात्र नहीं होगा, –

(i) किसी ऐसी दशा में जहां कार्य करने में उसकी असफलता, कार्य करने में उसकी अनिश्चित कार्य की गई थी न कि नियोक्ता द्वारा कार्य प्रदान करने का लोप रखा जाने के कारण;

(ii) ऐसे अन्य मामलों और परिस्थितियों में, जो विहित की जाए।

11. जहां कोई कर्मचारी दो या अधिक वर्ग के कार्य करता है जिनमें से प्रत्येक के लिए मजदूरी की मिलन दर लागू है तो नियोक्ता ऐसी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ग के ऐसे कार्य के लिए कम्यूनिष्ट, अन्य वर्ग के संबंध में लागू न्यूनतम दर से कम मजदूरी का संदर्भ नहीं करेगा।

12. जहां कोई व्यक्ति ऐसे मद कार्य पर नियोजित किया गया है, जिसके लिए न्यूनतम समय दर है और जिसके लिए इस संहिता के अधीन न्यूनतम मद दर नियत नहीं की गई है, नियोक्ता ऐसे व्यक्ति का न्यूनतम समय दर से कम मजदूरी का संदर्भ नहीं करेगा।
सामान्य कार्य
दिवसों के लिए
कार्य के नियत
घंटे।

13. (1) जहां इस संहिता के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत है, समुचित सरकार—

(क) कार्य के घंटों की संख्या नियत कर सकेगी, जो किसी सामान्य कार्य दिवस में गठित होते हैं जिसके अंतर्गत विनिमित एक या अधिक अंतराल हैं;

(ख) सात दिनों की प्रत्येक अवधि में विश्राम के एक दिन, जो सभी कर्मचारियों को या कर्मचारियों के किसी विशेष वर्ग को अनुमोदित होगा और विश्राम के ऐसे दिनों के संबंध में पारिश्रमिक के संदर्भ के लिए उपबंध करना;

(ग) विश्राम के किसी दिन पर कार्य के लिए संदर्भ अतिकल दर से अन्यून नहीं होगा, का उपबंध करना।

(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे विस्तार और शर्तों के अधीन रहते हुए कर्मचारियों के निम्नलिखित प्रवर्तनों के संबंध में लागू होंगे जो विनिरंधत किए जाएं, अर्थात्—

(क) किसी आकस्मिक कार्य जो पूरे कल्पना या निवारक नहीं हो सकता है, में लगे कर्मचारी;

(ख) प्रारंभिक या संपूरक कार्य की प्रकृति के कार्यों में लगे कर्मचारी जिसे संबंधित नियोजन में साधारण कार्यकरण के लिए अभिक्रित सीमा से बाहर आवश्यक रूप से किया जाना है:

(ग) कर्मचारी जो आवश्यक रूप से अंतराष्ट्रिय में नियोजित है,

(घ) कर्मचारी किसी कार्य में नियोजित है जिसे तकनीकी कारणों से कर्त्तव्य काल से पहले पूर्ण करना है; और

(ङ) कर्मचारी किसी ऐसे कार्य में नियोजित है, जिसे प्राकृतिक बल से अप्रभुतित किया पर आधारित समय पर के सिवाय नहीं किया जा सकता है।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) के योजन के लिए, आवश्यक अंतराष्ट्रिय में किसी कर्मचारी का नियोजन जब वह समुचित सरकार द्वारा कर्मचारी के कर्त्तव्य काल के दैनिक घंटों के आधार पर घोषित किया जाता है; या यदि कर्मचारी के लिए पैसे कर्त्तव्य काल के दैनिक घंटे नहीं होंगे, सामान्यतया कर्त्तव्य काल के घंटों में लिखित की अवधि सम्मिलित होगी जिसमें कर्मचारी कर्त्तव्य काल में हो सकेगा किंतु उसका बुलाया जाना प्रदानित नहीं होता है या धारीक रूप से नियंत्रक मय या सतत रूप से उपस्थित है, भी सम्मिलित होंगे।

अतिकल के लिए मजदूरी।

14. जहां कोई कर्मचारी जिसकी मजदूरी की न्यूनतम दर इस संहिता के अधीन घंटे द्वारा, दिन द्वारा या ऐसी किसी मजदूरी अवधि के आधार जो विनिरंधत की जाए, किसी सामान्य कार्य दिवस को गठित करने वाले घंटों की संख्या से अधिक किसी दिन के कार्य पर नियत होती है, नियोजक उसे इस प्रकार अधिक किए गए कार्य के लिए प्रत्येक घटे के लिए या किसी घटे के भाग के लिए अतिकल की दर पर जो मजदूरी की सामान्य दर से दुगुने से कम नहीं होगी, संदर्भ करेगा।
अध्याय 3
मजदूरी का संदाय

15. कर्मचारियों को सभी मजदूरियां वर्तमान सिक्कों या कर्जी सोटों में या चैक द्वारा या बैंक खाते में मजदूरी जमा करके या इलेक्ट्रानिक रीति से संदाय होगी:

परंतु समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट औद्योगिक या अन्य स्थापन का नियोजक, जो ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को उनके बैंक खाते में मजदूरी केवल चैक द्वारा या जमा करके मजदूरी का संदाय करेगा।

16. नियोजक, कर्मचारियों के लिए मजदूरी अवधि को इस शर्त के अधीन रहते हुए किसी कर्मचारी के संबंध में मजदूरी अवधि एक मास से अधिक नहीं होगी या तो दैनिक या साप्ताहिक या मासिक आधार पर नियत करेगा:

परंतु विविध स्थापनाओं के लिए विविध मजदूरी अवधियों नियम की जा सकेंगी।

17. (1) नियोजक, निम्नलिखित में लगे हुए कर्मचारियों को मजदूरी का संदाय करेगा या संदत्त करना कारित करेगा:

(i) पारी के अंत में, दैनिक आधार पर;
(ii) सप्ताह के अंतिम दिन को साप्ताहिक आधार पर अिकाश साप्ताहिक अवकाश से पूर्व;
(iii) पश्चिम की समाप्ति के शेष दिन के अंत से पूर्व, पाक्षिक आधार पर;
(iv) उत्तरिती मास के शेष दिन की समाप्ति से पूर्व मासिक आधार पर।

(2) जहां किसी कर्मचारी—

(i) को सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत किया गया है; या
(ii) की छंटनी की गई या उसने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है या स्थापना के बंद होने के कारण अनियोजित हो गया है,

उसे संदेय मजदूरी, यथास्थिति, उसको हटाने, पदच्युत करने, छंटनी करने या उसके त्यागपत्र के दो दिन के भीतर संदत्त की जाएगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतरिक्ष किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार वहाँ मजदूरियों के संदाय के लिए भी किसी अन्य समाय-सीमा का उपबंध कर सकेगी जहां वह उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनके अधीन मजदूरी संदत्त की जानी है, ऐसा युक्तियुक्त समझती है।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतरिक्ष कोई बात तत्समय द्वितीय किसी अन्य विधि में मजदूरी के संदाय के लिए उपबंधित समाय-सीमा को प्रभावित नहीं करेगी।

18. (1) तत्समय द्वितीय किसी अन्य विधि में अंतरिक्ष किसी बात के होते हुए भी कर्मचारी की मजदूरी से नियामक उन कटौतियों के जिन्हें इस संहिता के अधीन प्राधिकृत किया गया है, कोई कटौती नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,
(क) किसी कर्मचारी द्वारा नियोक्ता या उसके अधिकारी को किए गए किसी संदर्भ को उसकी मजदूरी से कटौता जाएगा;

(ख) निम्नलिखित में से किसी सही और पर्याप्त कारण से किसी कर्मचारी को मजदूरी का कोई नुकसान—

(i) वेतनवृद्धि या प्रोत्साहित को विधारित करना, जिसके अंतर्गत किसी वेतनवृद्धि को रोकना है; या

(ii) किसी निम्नतर पद को देना या समय वेतन को प्रदान करना; या

(iii) निलंबन,

को उस दशा में मजदूरी में से कोई नहीं माना जाएगा जहां नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए किए गए उपबंध इस निमित समूचे सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकारी को पूरा करते हैं।

(2) किसी कर्मचारी की मजदूरी से कोई कटौता इस संहिता के उपबंधों के अनुसार में की जाएगी और केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए होगी, अर्थातः—

(क) उस पर अनिवार्य जुर्माना;

(ख) कार्य से अनुपस्थिति के लिए कटौतियां;

(ग) कर्मचारी को अभियोजन स्तर से अधिरक भूमि में सौंपे गए मालों के नुकसान या हानि के लिए; या ऐसे धन की हानि के लिए कटौतियां जिसके लिए उससे देना प्रदान करने की अपेक्षा है जहां ऐसा नुकसान या हानि उसकी असावधानी या व्यत्यस्त रूप से उपेक्षा का परिणाम है;

(घ) नियोक्ता या समूचे सरकार द्वारा या तत्समय प्रज्ञान किसी विधि के अधीन स्थापित आवास बोर्ड द्वारा आपूर्ति किए गए गृहवास सुविधायों के लिए कटौतियां, या कर्मचारी द्वारा ऐसे धन की हानि के लिए कटौतियां जिसके लिए उससे हिसाब प्रदान करने की अपेक्षा है जहां ऐसा नुकसान या हानि उसकी असावधानी या व्यत्यस्त रूप से सत्योत्मक रूप से उपेक्षा का परिणाम है;

(ङ) नियोक्ता या समूचे सरकार या इस संहिता द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी के अधीन स्थापित आवास बोर्ड द्वारा आपूर्ति किए गए गृहवास सुविधायों के लिए कटौतियां, जो गृहवास सुविधा को सहायतक प्रदान करने के कार्यालय में लगा हुआ है जिसे इस निमित समूचे सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(च) नियोक्ता या समूचे सरकार का इस निमित साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जिससे प्राधिकृत किया गया है, आपूर्ति की गई सुध-सुविधायों और सेवाओं के लिए कटौतियां ऐसी कटौती करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और ऐसी कटौती ऐसी सुध-सुविधायों, सेवाओं के समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगी;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “सेवा” पद में नियोजन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित औजारों और कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति सम्भवित नहीं है:

(च) (i) किसी प्रकृति के अधिम, जिसके अंतर्गत यात्रा भत्ते या सवारी भत्ते के लिए अधिम भी है और उसके संबंध में शोध स्वयं, या मजदूरी के अधिक संदर्भ का समायोजन:

(ii) समूचे सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट श्रमिक कल्याण के लिए गठित किसी समायोजन
से लिया गया उपाय और उसके संबंध में शोध्य ब्याज की वसूली के लिए कटौतीः

(3) समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित गृह निर्माण या अन्य प्रयोजनों के लिए अनुदत ऋण और उसके संबंध में सम्मक्क ब्याज की वसूली के लिए कटौतीः

(4) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उद्देश्यत आय-कर या किसी अन्य कानूनी उद्देश्य या उद्देश्यत कर और जो कर्मचारी द्वारा संदेह है, के लिए कटौतियाँ या किसी न्यायालय के आदेश या ऐसा आदेश करने के लिए सकार अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश के लिए अपेक्षित कटौतियाँः

(5) विविध द्वारा गठित किसी सामाजिक सुरक्षा लिधि या स्कीम से अधिग्रहण के पुनः संदेह या अंदाज के लिए कटौतियाँ जिसके अंतर्गत भविष्य लिधि या पैसा लिधि या स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम या किसी अन्य नाम से जात लिधि हैः

(6) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो समुचित सरकार अधिरोपण करे किसी सहकारी सोसाइटी को संदेह के लिए कटौतियाँः

(7) कर्मचारी के लिए विद्यित प्राधिकार से फीस के संदेह के लिए और उसके द्वारा त्यस्कार संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रणजीत्रकृत त्यस्कार संघ की सदस्यता के लिए उसके द्वारा संदेह फीस के लिए कटौतियाँः

(8) कृप्षक्तय या आयारी सिक्कों या विकृप्त या दक्ष जाली करें से के लिए कर्मचारी द्वारा स्वीकृत के लेखे रेट प्रशासन द्वारा हुई हानियाँ की वसूली के लिए कटौतीः

(9) बीजक, बिल के संबंध में किसी रेट प्रशासन के असफल रहने के मददे या बिनाया, भाग्ना, बेटमेरज, र्थान भाग्ना और र्नेर भाग्ना के संबंध में चाहें रेट प्रशासन को देन समुचित प्राप्ति के मददे या खानपान स्थापन में खाद्य के विक्रय के संबंध में या खाद्यान्य या अन्य या वस्तुओं के संबंध में किसी नियोजक द्वारा हुई हानि की वसूली के लिए कटौतीः

(10) रेट प्रशासन द्वारा प्रदत्त कोई अंतिम घटना या कटौती के मददे चाहे ऐसी हानि उसकी प्रत्यक्ष उपेक्षा या चूक के मददे किसी नियोजक को हुआ हैः की हानि की वसूली के लिए कटौतीः

(11) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजत निधि या केंद्रीय सरकार के रूप में ऐसी कोई अन्य निधि, जो अधिपत्तन द्वारा विनियमित की जाएः में अधिग्रहण के लिए कर्मचारी के लिए विद्यित प्राधिकार से की गई कोई कटौतीः

(12) इस संहिता में अंतिक या अधिय बात के होते हुए भी और ततसमय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कर्मचारी के मजदूरी से किसी मजदूरी अधि के उपाधि (2) के अधीन की गई कोई कटौती की कुल रकम ऐसे मजदूरी के पाने प्रतिशत से अधिक नहीं होगीः

(13) उपाधि (2) के अधीन जहां प्राधिकत कुल कटौतियाँ मजदूरी के 50 प्रतिशत से अधिक हैं, ऐसे अधिक को ऐसी रीति में वसूल की जा शकती; जो विहित की जाएः
(5) जहां इस धारा के अधीन नियोजन द्वारा कर्मचारी की मजदूरी में कोई कटौती की जाती है किंतु तत्समय प्रवृत्विधि के उपबंधों के अधीन यथाप्रकृति दृष्ट या सरकारी निधि या कोई अन्य संबंध को ध्यान में रखते हुए जमा नहीं किया जाता है वहां ऐसे कर्मचारी नियोजक के ऐसे चूक के लिए उतरदायी नहीं होंगे।

19. (1) नियोजक द्वारा नियोजक के रूप में उसके भाग पर उसके कृत्य या उसके किसी भाग के लोप के संबंध में किसी कर्मचारी पर कोई जुमायना समुचित सरकार या ऐसे किसी प्राधिकारी के रूप में जो विहित किया जाए, उपधारा (2) के अधीन सूचना द्वारा वितरित किया जाए, के संपूण्य अनुमोदन के बिना अधिरोपित नहीं होगा।

(2) ऐसे कार्य या लोप की वितरित कोई सूचना परिसर पर, जहां ऐसा नियोजन किया जा रहा है, ऐसी रीति में प्रदर्शित की जाएगी, जो विहित किया जाए।

(3) किसी कर्मचारी पर कोई जुमायना तब तक अधिरोपित नहीं होगा जब तक कि कर्मचारी को जुमायने के विस्तार या अन्यथा जुमायने को अधिरोपित करने के लिए विहित रीति में ऐसे प्रक्रिया के अनुसार में कारण बताए जाएँगे का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) जुमायने की कुरुष रकम जो किसी कर्मचारी पर किसी एक मजदूरी अवधि में उक्त मजदूरी अवधि के संबंध में जिससे उसका मजदूरी संदेय है तीन प्रतिशत के समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगी।

(5) कोई कर्मचारी जो पंद्रह वर्ष की आयु से कम है पर कोई जुमायना अधिरोपित नहीं होगा।

(6) किसी कर्मचारी पर अधिरोपित कोई जुमायना उससे किसी तो तारीख को विहित किया गया था, से नब्बे दिन के पश्चात् वसूल नहीं किया जाएगा।

(7) प्रत्येक जुमायना कार्य या उसके लोप की तारीख को अधिरोपित समझा जाएगा जिसको यह अधिरोपित किया गया था।

(8) सभी जुमायने और वसूली को ऐसी रीति और ऐसे प्रथा में रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा जो विहित की जाए; और ऐसी सभी वसूली स्थायी नियोजन के लिए विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रस्तुत होगी।

(2) ऐसे कर्मचारी के दौर में मजदूरी अवधि के संबंध में, जिसमें नियोजित व्यक्ति को संदेय मजदूरी के उसके नियोजन के निर्देशों में वह कार्य के लिए अपेक्षित था के दौरान ऐसी मजदूरी अवधि के भीतर कुल अवधि को उसकी अनुपस्थिति के लिए जिसमें वह अवधि उसके अनुपात में अधिक है, कटौती की गई है, के संबंध में कोई वाद नहीं होगा:

परंतु समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त निर्देश गए किसी नियम के अधीन रहते हुए
यदि दस या अधिक कार्यरत नियोजित व्यक्ति समुचित सूचना के बिना किसी कारण के अपने को अनुमोदित रखते हैं (यह कहा जा सकता है कि सूचना दिए बिना नियोजन के उनके संबंध की निबंधनों के अधीन जहां यह अप्रत्याशित है) ऐसे व्यक्ति से ऐसी कट्टौती जिसके अंतर्गत ऐसी रकम जो सूचना के नोटिक द्वारा नियोजक को देने किसी ऐसे नियोजन द्वारा आठ दिनों के लिए उसके बेतने से अधिक ऐसी रकम होगी।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए, कोई कर्मचारी स्थान से अनुपस्थित रहता है जहां वह उनके कारण के लिए अप्रत्याशित है यदि, यद्यपि ऐसे स्थान में उपस्थित नहीं है, तब वह हड़काल में होती जो किसी अन्य कारण के लिए इंकार करता है जिसे उसके कारण करने की आवश्यकता में युक्तियुक्त नहीं है।

21. (1) नुकसान या हानि के लिए धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ग) या खंड (ड) के अधीन कोई कटारी कर्मचारी के किसी उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा नियोजक को कारात्मक किसी नुकसानी या हानि की रकम से अधिक नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटारी तब तक नहीं होगी जब तक कि कर्मचारी को कटारी के विस्तृत कारण बताया का अवसर या ऐसी कटारी करने के लिए विधिमंत्र रीति में ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में अवसर न देया गया हो।

(3) सभी ऐसी कटारियाँ और वसूली किसी रजिस्टर में ऐसी रीति में अभिलिखित की होगी जो विधिमंत्र की जाए।

22. धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन कोई कटारी तब तक नहीं होगी जब तक कि नियोजन के निबंधनों के अधीन या अन्यथा उसके द्वारा कर्मचारी गृह वास सुविधा या सेवा स्वीकार नहीं की जाती और ऐसी कटारियाँ मूल्य वास सुविधा या उस दी गई सेवाओं के मूल्य के समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगी तथा समुचित सरकार के रूप में ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिरोधित की जाए।

23. बिन्दुस्थित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी कर्मचारी को दिए गए अधिमों की वसूली के लिए धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन कटारी की जाएगी, अवधितः—

(क) नियोजन प्रारंभ होने से पूर्व किसी कर्मचारी को दिए गए धन के अधिम की वसूली किसी पूर्ण मजदूरी अधिम के संबंध में उसकी मजदूरी के प्रथम संदर्भ से होगी कितु यात्रा व्यय के लिए दिए गए ऐसे अधिम की वसूली नहीं की जाएगी।

(ख) नियोजन प्रारंभ होने से पश्चात् किसी कर्मचारी को दिए गए धन के अधिम की वसूली ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए की जाएगी जो विधिमंत्र की जाए।

(ग) किसी कर्मचारी की मजदूरी के अधिमों की वसूली जो उसके द्वारा अंतित नहीं किया गया है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए की जाएगी, जो विधिमंत्र की जाए।

24. किसी कर्मचारी को दिए गए उधार की वसूली के लिए कटारी धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन उस सीमा तक विनियमित होगी जिसमें ऐसे उधार दिया गया था और ऐसी व्याज की दर संदर्भ नहीं होगी जो विधिमंत्र की जाए।
अध्याय का सरकारी संस्थापनों को लागू न होना।

बोनस के लिए पाना।

25. इस अध्याय के उपबंध सरकारी संस्थापनों को लागू नहीं होगे जब तक समृद्धि सरकार अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थापनों को ऐसे उपबंध लागू होते हैं।

अध्याय 4

बोनस का संदाय

26. (1) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को, जो अपने नियोजक से प्रति मास ऐसी रकम से, जो समृद्धि सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए, अनधिक मजदूरी पाता हो और जिसने किसी लेखा वर्ष के कम से कम तीस दिन कार्य किया हो, को संदाय किया जाएगा तथा आठ और एक तिहाई से वार्षिक न्यूनतम बोनस का संगणन किया जाएगा।

कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी या एक हजार रुपए जो उससे से अधिक हो वहाँ नियोजक के पास पहले संगणन वर्ष के दौरान आबंटनीय अर्थों या नहीं।

(2) बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिए जहाँ समृद्धि सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यथा अवधारित कर्मचारी की मजदूरी प्रति मास ऐसी रकम से अधिक है तो ऐसे कर्मचारी को संदेय बोनस उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार संगणित किया जाएगा माने उसकी मजदूरी प्रति मास समृद्धि सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यथा अवधारित ऐसी रकम हो या समृद्धि सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी नियत हो, तो से जो अधिक हो।

(3) जहां उपधारा (1) में किसी लेखा वर्ष की बाबत, आबंटनीय अर्थों उस उपधारा के अधीन कर्मचारी को संदेय न्यूनतम बोनस की रकम से अधिक हो तो नियोजक ऐसे न्यूनतम बोनस के स्थान पर उस लेखा वर्ष की बाबत प्रत्येक कर्मचारी को संदाय करने को आदेश किया गया हो: यह बोनस ऐसे मजदूरी के बीस प्रतिशत के अधिकतम के अध्यधीन संगणना के दौरान कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी के अनुपात में रकम होगी।

(4) इस धारा के अधीन आबंटनीय अर्थों की संगणना करने वाले समय धारा 36 के उपबंधों के अधीन रकम को आये के लिए रखना या रकम के मुजरा किया जाना उस धारा के उपबंधों के अनुसरण में रकम को लिया जाना चाहिए।

(5) उपधारा (1) में निदिष्ट बोनस की अधिकता में बोनस के लिए कोई मांग या तो उपादन या उपादान के आधार पर किसी लेखा वर्ष में जिसमें बोनस संदेय है, नियोजक या कर्मचारियों के मध्य करार या समझौता इस शर्त के अध्यधीन के बीस प्रतिशत के न्यूनतम बोनस के स्थान पर जिस लेखा वर्ष में नियोजक कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(6) प्रथम पांच लेखा वर्ष में आने वाले लेखा वर्ष जिससे नियोजक अपने द्वारा उत्पादित या विनिमित माल को बेचता है या सेवा देता है, व्यापारिति, ऐसे स्थापन से बोनस के लिए इस लेखा वर्ष की बाबत जिसमें नियोजक ऐसे स्थापन से लाभ द्वृत्तत्त्वकरता है, संदेय किया जाएगा और ऐसे बोनस उस वर्ष के संबंध में इस संहिता के उपबंधों के अनुसार बिना धारा 36 में उपबंध लागू किए संगणित किया जाएगा।

(7) छह और सातवें वर्ष के लिए आने वाले लेखा वर्ष जिसमें नियोजक अपने द्वारा उत्पादित या विनिमित माल बेचता है या सेवा प्रदान करता है, व्यापारिति, ऐसे स्थापन से धारा 36 के उपबंध निम्नलिखित उपांशरण के अध्यधीन लागू होंगे, अर्थातः—
(i) छठे लेखा वर्ष के लिए आगे रखने या मुजरा करने, यथास्थिति, अधिकता या कमी को ध्यान में रखते हुए ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाें, यदि, यथास्थिति, पाँचवे या छठे वर्ष के बावजूद आबंधित अतिशय आगे रखे जाएंगे या मुजरा किए जाएँगे;

(ii) सातवे लेखा वर्ष के लिए आगे रखने या मुजरा करने, यथास्थिति, अधिकता या कमी को ध्यान में रखते हुए ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाें, यदि, यथास्थिति, पांचवे और सातवे लेखा वर्ष में आबंधित अतिशय को आगे रखे या मुजरा किए जाएँगे।

(8) आठवे लेखा वर्ष से आगामी लेखा वर्ष में, जिससे नियोजक अपने द्वारा, यथास्थिति, उपत्र से विस्तारित या विनिर्दिष्ट माल बेचता है या सेवा प्रदान करता है, ऐसे स्थापन से धारा 36 के उपबंध ऐसे स्थापनों के संबंध में लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य स्थापन के संबंध में लागू होते।

**स्पष्टीकरण 1**—उपधारा (6) के प्रयोजन के लिए कोई नियोजक किसी लेखा वर्ष में लाभ प्राप्त नासे अलग नहीं माना जाएगा, जब तक—

(क) उसने उक्त वर्ष के मूल्य हास के लिए उपबंध किया हो जिसके वह, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम, कृपि आय-कर विधि के अधीन हकदार है और

(ख) ऐसे मूल्य हास और उसके द्वारा की हानियों के बावजूद उसके लाभ के निर्दृश्य पहले लेखा वर्ष के लिए स्थापन की बाबत पूणयतः मुजरा किए जा चुके है।

**स्पष्टीकरण 2**—उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए किसी कारखाने के प्रारंभिक परीक्षण के दौरान माल, उत्पादित माल या विनिर्दिष्ट माल का विक्रय या किसी खान या तेल क्षेत्र की संभावित प्राप्ति को विचार में नहीं लिया जाएगा और जहां कोई प्रश्न ऐसे उत्पादन या विनिर्दिष्ट के संबंध में उठता है वही समुचित सरकार पक्षकारों के मामले को प्रतिबद्ध करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मुद्दे को सुधार करेगी।

(9) उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) के उपबंध, जहां तक तक सके, विद्यमान स्थापनों द्वारा स्थापित किए नए विभागों या उपक्रमों या शाखाओं को लागू होने।

27. जहां कोई कर्मचारी लेखा वर्ष में सभी कार्यरत दिनों में काम नहीं करता है तो धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन न्यूनतम बोनस, यदि ऐसा बोनस लेखा वर्ष में ऐसे कर्मचारियों द्वारा किए कार्य के वेतन या मजदूरी में और तिहाई प्रतिशत से उच्चतर हो तो आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा।

28. कर्मचारी की बाबत यह बात धारा 13 के प्रयोजनों के लिए समझी जाएगी कि उसने किसी लेखा वर्ष के स्थापन में उन दिनों में भी काम किया है जिन दिनों—

(क) वह किसी कारखाने के अधीन या औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन स्थायी आदेश द्वारा यथा अनुसार रूप में या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन या स्थापन को लागू किसी अन्य विधि के अधीन कामबंदी में रखा गया है।

1946 का 1947 का 20 14
(क) यह वेतन या मजदूरी के सहित छुट्टी पर रहा है:
(ग) यह अपने नियोजन से उद्धृत और उसके अनुक्रम में दुर्घटना द्वारा कारित अस्थायी निश्चितता के कारण अनुपस्थित रहा है: और
(घ) लेखा वर्ष के दौरान यह कर्मचारी वेतन या मजदूरी के सहित छुट्टी पर रहा है।

29. इस अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, कोई कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन बोनस प्राप्त करने के लिए निरर्थित होगा, यदि वह,—

(क) कपट: अथवा
(ख) निरर्थित के परिसर में होते हुए किसी बलवात्मक या हिंसात्मक आचरण: अथवा
(ग) स्थापना की किसी संपत्ति की चोरी, उसमें दुर्विनियोग या अभिव्यव: के कारण सेवायुक्त कर दिया जाता है; या
(घ) यौन उत्पीडन के लिए दोष सिद्ध.

30. जहां किसी स्थापना के विभिन्न विभाग या उपक्रम या शाखाएं चाहे वह समान स्थान या विभिन्न स्थानों पर स्थित है, सभी ऐसे विभाग या उपक्रम या शाखाएं उस वर्ष के लिए इस संहिता के अधीन बोनस के परिकलन के प्रयोजनों के लिए उस समान स्थापना के भागों के रूप में माने जाएंगे:

परंतु यह कि जहां किसी लेखा वर्ष के लिए पूरक तुलनापत्र और लाभ तथा हानि लेखा तैयार किया जाता है और किसी ऐसे विभाग या उपक्रम या शाखा के संबंध में रखे जाते है वहां वे उस वर्ष के लिए इस संहिता के अधीन बोनस में संगणना के प्रयोजन के लिए पूरक स्थापना समझें जाएंगे, जब तक कि ऐसा विभाग या उपक्रम या शाखा उस लेखा वर्ष के तुरंत प्रारंभ से घोषीत बोनस के प्रयोजन के लिए स्थापना का भाग समझे जाएंगे।

31. (1) बोनस आबंधित अतिशेष से संदाय किया जाएगा जो बैंक कंपनी की दशा में सार्वभौम तक्त की रकम और अन्य स्थापना की दशा में सार्वभौम प्रतिशत उपलब्ध अतिशेष की रकम के बराबर होगी और उपलब्ध अतिशेष धारा 33 के अनुसार में संगणित रकम होगी।

(2) कंपनियों के संपरिशिष्ट लेखा सामान्यतः प्रश्नान्तर नहीं होंगे।

(3) जहां बोनस की मात्रा के संबंध में कोई विवाद होता है तो अधिकारिता रखने वाली समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण नियोजक को तुलनात्मक अधिकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पहले जाने देता है जब विभाग या उपक्रम या शाखा उस लेखा वर्ष के तुरंत प्रारंभ से पहले बोनस के प्रयोजन के लिए स्थापना का भाग समझे जाएंगे।

32. नियोजक द्वारा लेखा वर्ष की बाबत स्थापना से व्युत्पन्न सकल लाभ—

(क) बैंक कंपनी की दशा में ऐसी विनिमित्स रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, संगणित किया जाएगा।

(ख) किसी अन्य दशा में ऐसी विनिमित्स रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा
विहित की जाए, संगणित किया जाएगा।

33. किसी लेखा वर्ष के संबंध में उपलब्ध अतिशेष, धारा 34 में निर्दिष्ट योग से कटौती के पश्चात् उस वर्ष का सकल लाभ होगा:

परंतु उपलब्ध अतिशेष इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् किसी वर्ष में किसी दिन पर संगणित वर्ष के संबंध में और प्रत्यक्ष पश्चातवर्ती लेखा वर्ष के संबंध में निम्नलिखित के पूर्णयोग को होगा—

(क) धारा 34 में निर्दिष्ट योग से कटौती के पश्चात् उस लेखा वर्ष के लिए सकल लाभ:

(ख) निम्नलिखित के अंतर के समान रकम होगी—

(i) धारा 35 के उपबंधों के अनुसार में संगणित प्रत्यक्ष कर तुरंत आने वाले लेखा वर्ष के लिए नियोजक का सकल लाभ के लिए समान रकम होगी; और

(ii) प्रत्यक्ष कर धारा 33 के उपबंधों के अनुसार में उक्त वर्ष में इस संहिता के उपबंधों के अनुसार में बोनस की रकम के जिसे नियोजक ने संदेह किया है या अपने कर्मचारी को संदेह योग्य है। कटौती के पश्चात् ऐसे आयामी लेखा वर्ष के लिए नियोजक के सकल लाभ के समतुल्य रकम के संबंध में धारा 35 के उपबंधों के अनुसार में संगणित होगा।

34. सकल लाभ से निम्नलिखित राशियों की पूर्ण प्रभाव के रूप में कटौती की जाएगी, अर्थात्:

(क) आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के उपबंधों के कृषि आय-कर विधि के उपबंधों को तत्काल वृद्धि वी के, यथास्थिति, के अनुसार में अनुज्ञेय द्वारा हास के माध्यम द्वारा की रकम:

(ख) धारा 35 के उपबंधों के अध्यधीन कोई प्रत्यक्ष कर, जिसको नियोजक उस वर्ष के दौरान अपने आय लाभ और अमौल लाभ के संबंध में लेखा वर्ष के लिए देख करने के लिए दायी होगा;

(ग) नियोजक की बाबत ऐसी और राशि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

35. इस संहिता के प्रयोजनों के लिए किसी लेखा वर्ष के लिए नियोजक द्वारा संदेह कोई प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित उपबंधों के अध्यधीन उस वर्ष के लिए नियोजक की आय को नागू दरों पर संगणित किया जाएगा, अर्थात्:

(क) ऐसे कर की संगणना में कुछ नहीं लिया जाएगा,

(i) किसी पिछले लेखा वर्ष की बाबत नियोजन द्वारा उद्भूत और प्रत्यक्ष करों से संगणित तत्काल योग्य किसी विधि के अधीन ने जाई गई कोई हालि;

(ii) किसी हास का बकाया जिसका नियोजन आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन किसी पश्चातवर्ती लेखा वर्ष या वर्षों के लिए हास के लिए भत्ते की रकम के लिए जोडने का अनुमति होगा।
(ख) जिन नियोजक धारमिक या पूर्त संस्था है जिन्होंने धारा 41 के उपवन्ध लागू नहीं होते और इसकी आय का पूर्वत: या कोई भाग आय-कर अधिनियम, 1965 के अधिन कर से छूट प्राप्त है वहां इस प्रकार छूट प्राप्त आय के संबंध में ऐसी संस्था, यदि वह एक कंपनी होती है, के रूप में जिसमें पवित्र उस अधिनियम के अर्थ में सारत: हितद्वृध्क है, माना जाएगा।

(ग) जिन नियोजक एक व्यक्ति है या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसे नियोजक द्वारा संदर्भ कर इस आधार पर संगीतित किया जाएगा कि उसके द्वारा स्थापना से व्युत्पन्न आय केवल उसकी आय है।

(घ) जिन किसी नियोजक की कोई आय जिसमें भारत से बाहर व्यापार किया जा या निर्भर नियोजक गए माल से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ सम्भिलित है और ऐसी आय पर छूट प्रत्यक्ष कर से संबंधित तत्समय प्रत्यक्ष किसी विधि के अधीन अनुज्ञेय है वहां ऐसी छूट को लेखा में नहीं लिया जाएगा।

(ङ) किसी उद्योग के विकास के लिए सूचनात्मक वित्तीय अधिनियम के अधीन या अधीन उसके संदर्भ पर संबंधित तत्समय प्रत्यक्ष किसी विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में विकास छूट या विनियमन भी या विकास भी या उद्घाटन या उन्मुक्ति का हो, इस धारा में निर्धारित नहीं है, लेख में नहीं ली जाएगी।

36. (1) जिन किसी लेखा वर्ष के लिए आबंटनीय अधिशेष धारा 26 के अधीन उस स्थापना में सब कर्मचारियों को संदेह अधिकार बोनस की रकम से अधिक है वहां वह आबंटनीय लेखा वर्ष में उस स्थापना में निम्नोजित कर्मचारियों के कुल वेतन या मजदूरों में बीस प्रतिशत की सीमा के अधीन रहते हुए उत्तरार्थी लेखा के लिए और उससे भी बढ़ी लेखा वर्ष तक जिसमें वह चौथा लेखा भी सम्भिलित है और इसमें ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विघटित की जाए, बोनस के संबंध के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आमें रखी जाने के लिए अब की जाएगा।

(2) जिन किसी लेखा वर्ष के लिए कोई उपलब्ध अधिशेष नहीं है या उस वर्ष की बाबत आबंटनीय अधिशेष उस स्थापना के कर्मचारियों को धारा 10 के अधीन संदेह न्यूनतम बोनस की रकम से कम पड़ता है और उपधारा (1) के अधीन अन्य के और जिन के लिए रक्ष गई कोई भी ऐसी रकम या पर्याप्त रकम नहीं है जो न्यूनतम बोनस के संदर्भ के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा सके, वहां, समानता, ऐसी न्यूनतम रकम की उत्तरार्थी लेखा वर्ष में और चौथे लेखा वर्ष तक जिसमें वह चौथा वर्ष भी सम्भिलित है उस रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विघटित की जाए, बुजुर्ग किए जाने के लिए अब की जाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन निम्नोजित में उपबंध किया जाए कि रहे जाने या मुज़ुरा किए जाने के लिए द्वारा इस अधिनियम के निम्नोजित के संदर्भ के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन न आने वाले सभी अन्य मामलों को लागू करेगा।

(4) जिन किसी लेखा वर्ष में अब की कोई रकम इस धारा के अधीन अन्य के निम्नोजित की गई या मुज़ुरा की गई है, वहां उत्तरार्थी लेखा वर्ष के लिए बोनस की संगणना करने में,
37. जहां किसी लेखा वर्ष में—

(क) नियोजक के कर्मचारी को कोई पूजा बोनस या रुझान बोनस दे दिया है : या

(ख) नियोजक ने इस अधिनियम के अधीन संदेह बोनस का की भाग ऐसे बोनस के संदेह हो जाने की तारीख से पूर्व कर्मचारी को दे दिया है,

वहां नियोजक हकदार होगा कि वह उस लेखा वर्ष की बाबत इस संहिता के अधीन अपने द्वारा उस कर्मचारी को संदेह बोनस की रकम में से उस प्रकार संदेह बोनस की रकम की कटौती कर ले तथा वह कर्मचारी केवल बाकी को प्राप्त करने का दायि होगा।

38. जहां कोई कर्मचारी ऐसे अवधार का दोषी किसी लेखा वर्ष में पाया जाता है जिसमें नियोजक को वित्तीय हानि कारण होती है वहां नियोजक के लिए यह विधि द्वारा होगा कि वह बोनस की उस रकम में से, जो केवल उस लेखा वर्ष की बाबत इस संहिता के अधीन उस द्वारा कर्मचारी को संदेह हो, हानि की उस रकम की कटौती कर ले तथा वह कर्मचारी बाकी, यदि कोई हो, प्राप्त करने का हकदार होगा।

39. (1) इस संहिता के अधीन बोनस के रूप में किसी कर्मचारी को संदेह सभी रकम उसके नियोजक द्वारा लेखा वर्ष के समाप्ति होने से आठ मास की अवधि के भीतर कर्मचारी को उसके बैंक खाते में जमा करने के द्वारा संदेह होगी:

परंतु समुचित सरकार या ऐसा प्राधिकारी, जिसे समुचित सरकार इस निमित विनिमय करे, नियोजक द्वारा उससे आवेदन किए जाने पर और परिणत करण के लिए, जिसका अधिकार उसके अधिकार तथा उसके अधिकार के भीतर कर्मचारी को कभी ऐसा संदेह करके कर दे तथा उस कर्मचारी बाकी, यदि कोई हो, प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के हों उसी भी, जहां किसी प्राधिकारी के समक्ष कर्मचारी को संबंध विषय के संबंध में प्रस्ताव भेद दिया गया है और प्रस्ताव भेद के संबंध में परिणत होता है या समाधान प्राप्त करता है तो दो वर्ष के समाधान प्रति संदेह का आदेश या ऐसा बात के होए अधिक की नहीं होगी।

40. (1) यदि कोई पब्लिक सेक्टर स्थापना किसी लेखा वर्ष में किसी प्राइवेट सेक्टर स्थापना की प्रतियोगिता में कोई मालिक, जो उस द्वारा उत्पादित या विनिमय किया गया है, बेचता है या कोई सेवा करता है और ऐसे विक्रय या दोनों से प्राप्त आय उस वर्ष में उसकी सकल आय के बीस प्रतिशत से कम है तो इस अधिनियम के उपबंध ऐसे पब्लिक सेक्टर स्थापना के संबंध में वैसे ही लागू होगे जैसे वे तदःप्रित सेक्टर स्थापना के संबंध में लागू होते हैं।

(2) उपधारा (1) में जैसे अनुसार उपलब्ध है, के सिवाय इस अध्याय की कोई बात
ये कर्मचारियों को लागू नहीं होगी जो पब्लिक सेक्टर के किसी स्थापना में नियोजित है।

41. (1) इस अध्याय के कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियोजित कर्मचारी;

(ख) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खंड (42) में यथाप्ररिभाषित नाविक;

(ग) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में रजिस्ट्रीकृत या सूचीबद्ध कर्मचारियों और रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा रजिस्ट्रीकृत या सूचीबद्ध कर्मचारी;

(घ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के किसी विभाग के प्राधिकार के अधीन किसी स्थापना द्वारा नियोजित कर्मचारी;

(ट) निम्नलिखित द्वारा नियोजित कर्मचारी—

(i) इंडियन रेडक्रास सोसाइटी या उसी प्रकृति की कोई अन्य संस्था, जिसके अंतर्गत उसकी शाखाएं भी हैं;

(ii) विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं;

(iii) संस्थाएं, जिसके अंतर्गत अस्पताल, वाणिज्य वैंबर तथा सामाजिक कल्याण संस्थाएं हैं, जिनकी स्थापना लाभ के प्रयोजन के लिए नहीं की गई है;

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियोजित कर्मचारी;

(च) किसी बैंककारी कंपनी से मिलने पब्लिक सेक्टर वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियोजित कर्मचारी, जिनका केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट कर सकेगी—

(i) उसका पूँजी ढांचा;

(ii) उसका उद्देश्य और उसके कार्यकाल की प्रकृति;

(iii) सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता या किसी छूट की प्रकृति और विस्तार;

(iv) कोई अन्य सुसंगत कारक;

(झ) किसी अन्य देश से यात्रा रहे मार्गों से प्रवास कर रहे अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन स्थापनाओं द्वारा नियोजित कर्मचारी; और

(झ) अन्य स्थापनाओं के कर्मचारी, जिन्हें समृद्ध सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थापनाओं में कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बांटने की किसी अन्य स्कीम के अधीन समग्र फायदों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान करे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस अध्याय के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबंध ऐसे स्थापनाओं को लागू होगे, जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित है या किसी लेखांकन वर्ष के दौरान किसी अन्य दिन नियोजित थे।
अध्याय 5
सलाहकार बोर्ड

42. (1) केंद्रीय सरकार केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी, जो केंद्रीय सरकार
d्वारा नामितिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों से मिलकर बनेगा—
(क) नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ;
(ख) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो खंड (क) में नियित सदस्यों की संख्या के बराबर होंगे ;
(ग) स्वतंत्र व्यक्ति, जो बोर्ड के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अधिक नहीं होंगे ; और
(घ) राज्य सरकारों के ऐसे पांच प्रतिनिधि, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नामितिष्ट किया जाए।
(2) उपधारा (1) में नियित एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होगी और उक्त उपधारा के
खंड (ग) में नियित एक सदस्य की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष के
रूप में की जाएगी।
(3) उपधारा (1) के अधीन गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड समय-समय पर
निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों के निर्देश पर केंद्रीय सरकार को सलाह देगा,—
(क) न्यूनतम मजदूरी को नियत करना या उसका पुनरीक्षण और अन्य संबंधित
विषय ;
(ख) महिलाओं को नियोजन के बढ़ते हुए अवसर प्रदान करना ;
(ग) वह सीमा जिस तक महिलाओं को ऐसे स्थापना या नियोजनों में नियोजित
किया जा सके जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनियमित करे ; और
(घ) इस संहिता से संबंधित कोई अन्य विषय,
और ऐसी सलाह जिस पर केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जो वह
बोर्ड को नियित मुद्दों के संबंध में विषयों की बाबत उचित समझे।
(4) प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड
का गठन करेगी—
(क) न्यूनतम मजदूरी को नियत करना या उसका पुनरीक्षण और अन्य संबंधित
विषय ;
(ख) महिलाओं को नियोजन के बढ़ते हुए अवसर प्रदान करने के प्रयोजन के
लिए ;
(ग) उस सीमा के संबंध में, जिस तक महिलाओं को ऐसे स्थापना या
नियोजनों में नियोजित किया जा सके जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस
निमित्त विनियमित करे ; और
(घ) इस संहिता से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में, जिसे राज्य
सरकार समय-समय पर बोड़ को निर्दिष्ट करे।

(5) राज्य सलाहकार बोड उपदारा (4) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक या उससे अधिक समितियों या उप समितियों का गठन कर सकेगा।

(6) राज्य सलाहकार बोड़ और उसकी प्रत्येक समिति और उप-समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी—

(क) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले;
(ख) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या के बराबर होंगे; और
(ग) स्वतंत्र व्यक्ति, जो बोड़ के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अधिक नहीं होंगे।

(7) उपदारा (6) में निर्दिष्ट एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी और उक्त उपदारा के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य की नियुक्ति—

(क) राज्य सरकार द्वारा बोड के अध्यक्ष के रूप में की जाएगी;
(ख) राज्य सलाहकार बोड़ द्वारा, यथास्थिति, समिति या उप-समिति के अध्यक्ष के रूप में की जाएगी।

(8) राज्य सलाहकार बोड उपदारा (4) के खंड (घ) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट विषयों पर सलाह देने समय, यथास्थिति, संबंधित स्थापना या नियोजन में नियोजित महिलाओं की संख्या, कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे, नियोजन के लिए महिलाओं की उपयुक्तता, महिलाओं की नियोजन के बदले हुए अवसर प्रदान करने और ऐसे अन्य सुसंगत कारकों को, जो बोड उपचित समझे, ध्यान में रखेगा।

(9) राज्य सरकार उसे राज्य सलाहकार बोड़ द्वारा दी गई सलाह पर विचार करने के पश्चात् तथा स्थापना या कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति, जिसे सरकार उचित समझे, से अभ्यावेदनों को आमंत्रित करने और उन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी करेगी जैसा अवश्यक समझा जाए।

(10) उपदारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय सलाहकार बोड़ और उपदारा (4) में निर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोड़ क्रमशः अपनी स्वरूप की प्रक्रिया का यथा वित्तित रीति में विनियमन करेगे।

(11) उपदारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय सलाहकार बोड़ और उपदारा (4) में निर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोड़ की पदावधि, जिसके अंतर्गत राज्य सलाहकार बोड़ द्वारा गठित समितियों और उप समितियों की पदावधि भी है, वह होगी जो वित्तित की जाए।

अध्याय 6
शोध्यों, दायों का संदर्भ और लेखापरीक्षा

43. प्रत्येक नियोजक, उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को इस संहिता के अधीन अपेक्षित सभी रकमों का संदर्भ करेगा:
परंतु जहां ऐसा नियोक्ता इस संहिता के अनुसार में ऐसे संदाय को करने में असफल रहता है वहाँ कंपनी या फर्म या संघ या कोई अन्य व्यक्ति, जो उस स्थापन का स्वतंत्र, जिसमें कर्मचारी नियोजित है ऐसे संदाय को करने का उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रारंभों के लिए “फर्म” का वही अर्थ होगा, जो उसका भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 तक हो।

44. (1) इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय सभी रक्षे, यदि ऐसी रक्षे के संदाय से पूर्व उसकी मृत्यु के लेख्य या उसका पता जात न होने के कारण संदाय नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो—

(क) उनका संदाय उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा; या

(ख) जहां ऐसा कोई नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है या जहां किसी कारण से ऐसी रक्षा का इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदाय नहीं किया जा सकता है तो वह उस रक्षा को ऐसे प्राधिकारी, जो विहित किया जाए, के पास जमा कर दिया जाएगा, वह उस रक्षा से उस रीति में, जो विहित की जाए, व्यापार करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय सभी रक्षे को—

(क) इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा; या

(ख) नियोक्ता द्वारा उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जमा किया जाएगा, तब नियोक्ता को उन रक्षे का संदाय लेने के दायित्व से निम्नुक्त किया जाएगा।

45. (1) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा किसी राजमहत्त्व प्राधिकारी के रैंक से अन्युक्त एक या अधिक प्राधिकारियों को इस संहिता के उपबंधों के अधीन उद्धृक्त दावे की सुनवाई और विनियमेन्स करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, उस उपधारा के अधीन दावे का विनियम देखने वाले समय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनके अधीन दावा उद्धृत हुआ है, अवधारित दावे के अतिरिक्त प्रतिकार का संदाय अवधारित दावे से दस गुणा तक हो सकेगा और प्राधिकारी द्वारा दावे का विनियम तीन मास की कालावधि के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा।

(3) यदि कोई नियोक्ता उपधारा (2) के अधीन अवधारित दावे का और अदालत किये गए प्रतिकार का संदाय करने में असमर्थ रहता है तो प्राधिकारी उस जिसे, जिसमें स्थापन अवस्थित है, के क्लेक्टर या जिला माजिस्ट्रेट को वसूली का प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो उनकी भू-रास्ता के बकाया के समान वसूली करेगा तथा उनसे प्राधिकारी के पास संबंधित कर्मचारी को संदेय करने के लिए जमा करेगा।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दावे के लिए प्राधिकारी के समक्ष किसी आवेदन को
निम्नलिखित दुरारा फाइल किया जा सकेगा—

(क) संबंधित कर्मचारी ; या
(ख) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसाय संघ को, जिसका कर्मचारी सदस्य है ; या
(ग) निरीक्षक-सह-सुनकरकता।

(5) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, किसी स्थापना में नियोजित कर्मचारियों की किसी भी संख्या के संबंध में या उनके निर्मित इस धारा के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(6) उपधारा (4) के अधीन आवेदन उपधारा (1) में निर्दिष्ट दाबे के उद्धृत होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर फाइल किया जा सकेगा:

परंतु उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी आवेदक द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर विचार की अवधि का उपमम्लय कर सकेगा।

(7) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी और धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकारी या, यथास्थितिः, धारा 49 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और बोड़े के प्रत्येक सदस्य को सिविल प्रक्रिया संख्या, 1908 के अधीन साक्ष्य लेने और साक्षियों की उपस्थिति प्रवृत्त करने के लिए तथा दस्तावेज देने के लिए विवेचन करने की सिविल न्यायालय की शक्तियां होगी तथा प्रत्येक ऐसा प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को दंड प्रक्रिया संख्या, 1973 की धारा 195 तथा अध्यय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा।

46. संहिता में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी जहां—

(क) इस संहिता के उपबंधों के अधीन संदेह बोनस के संबंध में ; या
(ख) इस संहिता के लागू होने के संबंध में, बोनस के संबंध में पश्चिम संबंध के किसी स्थापना के संबंध में,
किसी नियोजित और उसके कर्मचारी के बीच कोई विवाद उद्धृत होता है तब ऐसे विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्थ में औद्योगिक विवाद समझा जाएगा।

47. (1) जहां, यथास्थिति,—

(क) धारा 45 के अधीन प्राधिकारी ; या
(ख) धारा 49 के अधीन अपील प्राधिकारी ; या
(ग) अधिकरण ; या
(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा (2) के खंड (कक) में निर्दिष्ट मध्यस्थ,

के समक्ष कार्यवाहियों के प्रक्रम में (जिसे इस धारा में "उक्त प्राधिकारी" कहा गया है) जिसे धारा 46 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई विवाद निर्दिष्ट किया गया है, किसी नियोजका, जो निगम या कोई कंपनी (किसी बैंककारी कंपनी से भिन्न) है, का तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा, जिसकी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक दुरारा या कंपनी अधिनियम,
2013 की धारा 141 के अधीन कंपनियों के लेख परीक्षाओं के रूप में कार्य करने के लिए सम्भवता अहित लेख परीक्षाओं द्वारा लेख परीक्षा की गई है, जो उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब उक्त प्राधिकारी यह अवधारण कर सकेगा कि ऐसे तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखों में अंतर्विष्ट विवरणियाँ और विशिष्टियां साही हैं तथा निगम या कंपनी के लिए ऐसे विवरणों और विशिष्टियों की शुद्धता को किसी शपथ-पत्र या किसी अन्य रीति से साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी:

परंतु जहां उक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निगम या कंपनी का तुलन-पत्र या लाभ और हानि लेख साही हैं तो वह ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह ऐसे विवरणों और विशिष्टियों की शुद्धता का पता लगाने के लिए आवश्यक समझे ।

(2) जब किसी व्यवसाय संघ द्वारा, जो किसी विवाद में पक्षकार है, या जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है, कर्मचारियों द्वारा किसी विवाद में पक्षकार होने के नाते तुलन-पत्र या लाभ और हानि लेखों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण के लिए कोई आवदन किया जाता है तो वह स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात कि ऐसा स्पष्टीकरण आवश्यक है, आदेश द्वारा, यथास्थिति, निगम या कंपनी को व्यवसाय संघ या कर्मचारियों के ऐसा स्पष्टीकरण ऐसे समय के भीतर, जो यथास्थिति, कंपनी या निगम को निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, देश का निदेश देगा और यथास्थिति, निगम या कंपनी ऐसे निदेश का अनुपालन करेगी।

48. (1) जहां किसी नियोक्ता, जो निगम या कंपनी नहीं है और उसके कर्मचारियों के बीच धारा 46 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई विवाद उस धारा के अधीन उक्त प्राधिकारी को निदेशित किया जाता है और ऐसे नियोक्ता के कंपनी अधिनीयम, 2013 की धारा 141 के उपबंधों के अधीन कंपनियों के लेख परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्भवता अहित किसी लेख परीक्षा द्वारा लेखपरीक्षित लेख के उक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं तो धारा 47 के उपबंध यथाशक्य इस प्रकार लेख परीक्षित लेखों को लागू होगे।

(2) जहां उक्त प्राधिकारी यह पाता है कि ऐसे नियोक्जक के लेखों की लेखपरीक्षा ऐसे लेख परीक्षक द्वारा नहीं की गई है और उसका यह मत है कि उसे निर्दिष्ट प्रश्न का विनियम करने के लिए ऐसे नियोजक के लेखों की लेख परीक्षा आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा नियोजक को उसके लेखों की लेख परीक्षा ऐसे समय के भीतर, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए या ऐसे और समय के भीतर, जो वह अनुज्ञात करे, ऐसे लेख परीक्षक या लेख परीक्षकों, जैसा वह उचित समझे, दूरारी के जाने तथा तत्पर्यावर नियोजक ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा।

(3) जहां कोई नियोजक उपधारा (2) के अधीन लेखों की लेख परीक्षा करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी धारा 54 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखों की ऐसे लेख परीक्षक या लेख परीक्षकों, जैसा वह ठीक समझे, दूरारी लेख परीक्षा करा सकेगा।

(4) जब उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन लेखों की लेख परीक्षा की जाती है तो धारा 47 के उपबंध यथाशक्य इस प्रकार लेखपरीक्षित लेखों को लागू होगे।

(5) उपधारा (3) के अधीन लेख परीक्षा के व्यय और उससे अनुपालन व्यय, जिसके
अंतगत लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक है, का अवधारण उक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और उनको नियोजक द्वारा संदर्भ किया जाएगा तथा ऐसे संदाय का व्यविधम धारा 45 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नियोजन से उस उपधारा में उपबंधित रीति में वसूलनीय होगा।

अपी ।

49. (1) धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यविधि कोई व्यविधित समुचित सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी या अधिकारिता रखने वाले बॉड को ऐसे आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर ऐसे प्रश्न और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, अपील कर सकेगा।

परंतु अपील प्राधिकारी या बॉड के आदेश अपील ग्राहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपील पाइल करने विवेंद पर्याप्त कारण से कारित हुआ है।

(2) अपील प्राधिकारी, समुचित सरकार के धारा 45 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों में से एक उच्चतर रैंक के पदधारी में से नियुक्त किया जाएगा।

(3) अपील प्राधिकारी अपील के लिए पारित किसी सुनिश्चित देने के पश्चात अपील का निर्धारण करेगा और अपील को तीन मास की कालविधि के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यथास्पष्टता, अपील प्राधिकारी या बॉड के आदेश के अधीन बकाया शैक्षणिक की वसूली धारा 45 में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उस धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रीति में वसूली प्रमाणपत्र जारी करके की जाएगी।

अन्तर्गत लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक है, का अवधारण उक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और उनको नियोजक द्वारा संदर्भ किया जाएगा तथा ऐसे संदाय का व्यविधक्रय धारा 45 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नियोजन से उस उपधारा में उपबंधित रीति में वसूलनीय होगा।

अपी ।

50. (1) धारा का प्रथम नियोक्ता, जिसे यह संहिता लागू होती, एक रजिस्टर का अनुक्रमण करेगा, जिसमें नियोजित व्यक्तियों, मास्टर पोस्टल मजदूरी के संबंध में व्यवहार और ऐसे अन्य व्यवहार, ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अंततिथियों होगे।

(2) प्रथम नियोक्ता स्थापन के प्रमुख स्थापन पर सूचना पट्ट में एक सूचना प्रदर्शित करेगा जिसमें इस संहिता का सार कर्मचारियों की प्रवर्तन मजदूरी देने, मजदूरी अवधि, मजदूरी के संदर्भ का दिन या तारीख और समय तथा अधिकारिता रखने वाले निर्धित-सह-सुकरकता का नाम और पता होगा।

(3) प्रथम नियोक्ता कर्मचारियों को यथा विहित मजदूरी परिवारीय जारी करेगा।

(4) उपधारा (1) से उपधारा (3) के उपबंध नियोक्ताओं को कृपाये या घरेलू प्रयोजन के लिए पांच से अन्ध्रिक व्यक्तियों को नियोजित करने की सीमा तक नागू निीं होगे:

परंतु ऐसा नियोक्ता, जब मांग की जाए, निर्धित-सह-सुकरकता के समक्ष इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी का संदर्भ करने का युक्तियुक्त सबूत प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "घरेलू प्रयोजन" पद से अनन्तर रूप से वह प्रयोजन अभिन्न है, जो नियोक्ता के गृह या व्यवहार के कार्यों से संबंधित है और जिसके अंतर्गत स्थापना, उद्योग, व्यापार, काराबार, विनिर्माण या बृति से संबंधित कोई कार्य नहीं है।
अध्याय 7

निरीक्षक-सह-सुकरक्ता

51. (1) समुचित सरकार, इस संहिता के प्रयोजनों के लाभ अधिसूचना द्वारा निरीक्षक-सह-सुकरक्ता नियुक्त कर सकेगी जो, ऐसे राज्य और भौगोलिक स्थलों में स्थित एक या अनेक स्थानों के संबंध में लिखत सर्वाधिकार राज्य या ऐसी भौगोलिक स्थलों या, यथास्थिति, समुचित सरकार द्वारा उनके नियुक्त एक या अनेक स्थानों, भौगोलिक स्थलों का विवाद किए बिना उपधारा (4) के अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा एक निरीक्षण स्कीम बनाएगी, जो वेब आधारित निरीक्षण अनुसूची विदेश करने का उपबंध करेगी।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, जो ऐसे अधिसूचना द्वारा विनिमय किया जाए, निरीक्षक-सह-सुकरक्ता को इस संहिता के प्रयोजनों के लाभ निरीक्षण करने के लाभ रचित चयन की ऐसी अधिकारिता प्रदान करेगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुकरक्ता को भारतीय दंड विधि की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

(5) निरीक्षक-सह-सुकरक्ता केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या मामलेश्वक सिद्धांतों के अधीन रहते हैं—

(क) इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन करने संबंधी योजनाओं और कर्मचारियों को और सलाह देगा;

(ख) समुचित सरकार द्वारा उन्हें यथासमनुदेशित स्थानों का निरीक्षण करेगा।

(6) निरीक्षक-सह-सुकरक्ता उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हैं,—

(क) किसी स्थान पर अपने परिसर में स्थित एक या अनेक व्यक्तियों की जांच करेगा,

(ख) किसी व्यक्ति से सूचना देने की अपेक्षा करेगा, जिससे व्यक्तियों के नाम और पते के संबंध में सूचना देना उसकी शक्तियों में है;

(ग) ऐसे राज्य, मजदूरों के अभिलेख या उनकी सूचनाओं या भागों की तलाशी लेगा, उन्हें अभिलेख कर सकेगा या उनकी प्रतियाँ बना सकेगा, जो निरीक्षक-सह-सुकरक्ता इस संहिता के अधीन किसी अपराध के संबंध में सुसंगत समझी और जिससे उनके लाभ निरीक्षक-सह-सुकरक्ता के पास यह विवाद करने का कारण है जिसका विवाद करने का कारण है जिसका विवाद करने का कारण है जिसका विवाद करने का कारण है जिसका विवाद करने का कारण है जिसका विवाद करने का कारण है जिसका विवाद करने का कारण है जिसका विवाद करने का कारण है जिसका विवाद करने का कारण है;

(घ) समुचित सरकार की सूचना में तस्वीर प्रदर्श किसी विद्या द्वारा कवर न की जाने वाली वृत्तियों या दूरस्थयों को लाएगा; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाए।
उपधारा (5) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा दस्तावेज या निरीक्षण-सह-सुकरकता द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी की अपेक्षा भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और धारा 177 के अधीन निर्दिष्ट विधिक रूप से आबद्ध समझा जाएगा।

(8) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध उपधारा (5) के अधीन तत्त्वों या अभिव्यक्ति भी लागू होंगे जैसे कि वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन प्राधिकारी के वारंट के अधीन तनावों या अभिव्यक्ति को लागू होते हैं।

अध्याय 8

अपराध और शास्त्रयां

52. (1) कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान सिंचाय समुचित सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या किसी कर्मचारी द्वारा या व्यापार संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रेूल व्यापार संघ या किसी निरीक्षण-सह-सुकरकता की शिकायत पर नहीं लेगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रधान श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा।

53. (1) धारा 52 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ग) तथा उपधारा (2) और धारा 56 की उपधारा (7) के अधीन शास्त्र अधिसूचित करने के प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार, यथास्थिति, भारत सरकार के अवर सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी या राज्य सरकार के किसी समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को ऐसी रूप में जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगी, जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों के पास जांच करते समय ऐसे किसी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपररधचत हैं, साक्ष्य देने या किसी ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने, जो ऐसे अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुरक्षित हो सकेगा, समन करने और हाजिर करने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन कोई अपराध किया है तो वह ऐसी शास्त्र अधिसूचित कर सकेगा जिससे वह ऐसे के उपबंधों के अनुसार ठीक समझा हो।

54. (1) कोई नियोजक, जो—

(क) किसी कर्मचारी को इस संहिता के उपबंधों के अधीन देय रकम से कम रकम का संदाय करता है, जुमले से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(ख) खंड (क) के अधीन किसी अपराध का दोषितत्त्व होने पर इस खंड के अधीन पहले या पर्यावरनीय अपराध को कार्य करने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर समाप्त अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह दूसरे और पर्यावरनीय अपराध के कार्य करने पर कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुमले से जो
एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ;

(ग) इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या जारी किए गए किसी आदेश में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह जुगनों से दंडनीय होगा, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा ;

(घ) खंड (ग) के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराए जाने के पश्चात् पहले या पश्चातवर्ती अपराध को कारित करने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर इस खंड के अधीन समान अपराध का दोबी पाए जाने पर अपराध को इस खंड के अधीन दूसरे और पश्चातवर्ती कारित करने के लिए वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या जुगनों से चालीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी स्थापन में अभिलेखों के न रखे जाने या उपयुक्त रूप से न रखे जाने के अपराध के लिए नियोक्ता जुगनों से दंडनीय होगा, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा।

(3) उपधारा (1) के खंड (घ) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निरीक्षक-सह-सुकरकार्य अभियोजन कार्यवाहियां संस्थित करने से पूर्व नियोक्ता को इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए निश्चित निदेश के माध्यम से एक अवसर प्रदान करेगा, जिसमें ऐसे अनुपालन के लिए समयावधि अधिकारित होगी और यदि नियोक्ता ऐसी कालावधि के दौरान निदेश का अनुपालन करता है तो निरीक्षक-सह-सुकरकार्य अभियोजन कार्यवाहियां संस्थित नहीं करेगा और नियोक्ता को ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा यदि इस संहिता के अधीन उसी प्रकृति का उल्लंघन उस तारीख से, जिसके पहला उल्लंघन कारित किया गया था से पांच वर्ष की कालावधि के दौरान दोहराया जाता है और उस दशा में इस संहिता के उपबंधों के अनुसार अभियोजन संस्थित किया जाएगा।

55. (1) यदि इस संहिता के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, वहां ऐसा प्रदेश व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कार्यालय के संचालन के लिए उस कंपनी का भागभागीक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कारित किया जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे।

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या सीमानुसूची से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण भाग जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी
समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निर्गमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत—

(i) कोई फर्म; या

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई सीमित दायित्व भागीदारी; या

(iii) व्यक्तिकों का कोई अन्य संगम; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

56. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतरिष्ट किसी बात के होते हुए भी इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध, जो केवल कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है या कारावास और जुमाने से भी दंडनीय है, अभियुक्त व्यक्ति के किसी अभियोजन के संस्थित होने के पूर्व या उसके पश्चात आवेदन पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा, जैसा समृद्ध अधिकारी समुदचत और पत्रकारों के अधीन रहने वाले के पश्चात अपराध के लिए उपबंधि जुमाने की अधिकतम रकम के पचास प्रतिशत तक यथाविधि रीति में उपशमन करा जाएगा।

(2) उपधारा (1) में अंतरिष्ट कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी बार या तत्पश्चात निम्नतिक्त तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर कारित किसी अपराध को लागू नहीं होगी—

(i) किसी समान अपराध को कारित करने पर, जिसका पहले उपशमन किया गया था;

(ii) किसी समान अपराध को कारित करने पर, जिसके लिए व्यक्ति को पहले दोषसिद्ध ठहराया गया था।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी समृद्ध अधिकारी के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेशन के अंतर्गत दंडनीय अपराध के उपशमन की जमीन का निर्विरोध करेगा।

(4) अपराधों के उपशमन के लिए प्रत्येक आवेदन उस रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(5) जहां किसी अपराध का उपशमन अभियोजन संस्थित होने से पूर्व किया जाता है तो ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरूद्ध, जिसके संबंध में अपराध का उपशमन किया गया है, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(6) जहां किसी अपराध का प्रशमन किसी अभियोजन को संस्थित करने के पश्चात किया जाता है तो ऐसे उपशमन को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा न्यायालय की सूचना में, जिसमें अभियोजन लिखित है, लिखित में लाया जाएगा और अपराध के उपशमन की ऐसी सूचना दिए जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अपराध का इस प्रकार उपशमन किया गया है, को निर्मुख कर दिया जाएगा।

(7) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश
का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम ज्ञानीय शक्ति के बीस परिशिष्ट के समान राशि का ज्ञान के अतिरिक्त संदर्भ करने का दायि होगा।

(8) इस संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का उपशमन सिद्ध करने इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में नहीं किया जाएगा।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

57. कोई न्यायालय न्यूनतम मजदूरीय मंजूरी से किसी कटौती, मजदूरीय और बोनस के संदर्भ में किसी भेदभाव की वसूली के लिए किसी वाद को स्वीकार नहीं करेगा, जहां तक दाया की गई राशि—

(क) धारा 45 के अधीन दाया की विषय-वसूल नहीं है;
(ख) इस संहिता के अधीन किसी निदेश का विषय बन गई है;
(ग) इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायप्रथा की गई है;
(घ) कोई संधिता के अधीन वसूल किया जा सकता है।

58. इस संहिता के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशुर्भित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधि कार्यवाही समृद्धियत सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

59. जहां पारिश्रमिक या बोनस का संदाय न करने के कारण या मजदूरी या बोनस के कम संदाय के कारण या इस संहिता के अधीन प्राधिकृत न की गई कटौतियों को किसी कर्मचारी की मजदूरी से काटने पर, यह साबित करने का भार कि ऐसे शोध्यों का संदाय किया गया है, नियोक्ता पर होगा।

60. कोई संविदा या करार, जिसके द्वारा कोई कर्मचारी इस संहिता के अधीन किसी रकम के विषय अदायित का उपयोग करके उसे देने या वसूलने का अधिकार या ऐसे देने या वसूलने का अधिकार का त्यजन कर देता है, जहां तक वह इस संहिता के अधीन किसी यथार्थ के, ऐसी रकम के दायित्व को हटाने या उसे कम करने के लिए नातेपरिवर्तित है, अकृतूर और शून्य होगा।

61. इस संहिता के उपबंधों का उनसे ततसबध्य प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतविद्य किसी बात या किसी पंचायट, करार, समझौते या सेवा की संविदा के होते हुए भी प्रभावित होगा।

62. समृद्धियत सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश देगी कि उसके द्वारा इस संहिता के अधीन निर्धारण की जाने वाली ऐसी विधान के संदर्भ में कोई शक्ति अथवा ऐसी शक्ति के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित दलाल निर्धारित होगी—

(क) जहां समृद्धियत सरकार केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी दलाल या राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी दलाल जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।
(ख) जहां समृद्धियत सरकार राज्य सरकार है वह राज्य सरकार के अधीनस्थ
ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जैसा अधिसूचना में विनिमित किया जाए।

63. जहां किसी नियोक्ता पर इस संहिता के अधीन किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है वहां वह उसके द्वारा सम्बन्धित अन्य व्यक्ति को, जिस पर वह वांछित अपराधी होने का आरोप लगाता है, आरोप की सुनवाई के लिए नियत समय पर न्यायालय के समक्ष लाए जाने का पात्र होगा और यदि अपराध किसी को साधारण करने के पश्चात् नियोक्ता न्यायालय के समाधान-प्रद रूप में यह साधित कर देता है कि—

(क) उसने इस संहिता के निर्णय के लिए सम्यक सांवधानी बरती थी; और

(ख) नियोक्ता का अन्य अन्य व्यक्ति ने प्रश्नात्मक अपराध के लिए उनके प्रश्नात्मक अपराध का आरोप गाया जाता था तथा उसके द्वारा सम्बन्धित अन्य व्यक्ति को अपराध का लसीद्ध दोष दिया जाएगा और यदि किसी ऋण या दातयोक्ता के संबंध में आक्सिा यों की कुकी के विरूद्ध सरंशण।

64. किसी नियोक्ता द्वारा सम्मिलित सरकार के पास उस सरकार के साथ किसी संविदा के सम्बन्धित निर्णय को सुनवाई करने के लिए जमा कोई रकम तथा उस सरकार से उस संविदा के संबंध में ऐसे नियोक्ता को शौचालय अन्य रकम नियोक्ता द्वारा उपलब्ध किसी कुँया या दायित्व के संबंध में सिवाय पूर्ववर्त नियोक्ता संबंधित सम्बन्धि संबंध में प्रति नियोजित कर्मचारी की तरफ नियोक्ता द्वारा उपलब्ध किसी कुँया या दायित्व से बिना किसी कुँया के लिए किसी न्यायालय को शक्तिक की डिक्री या आदेश के अधीन जमा रकम कुँया के अधीन नहीं होगी।

65. केंद्रीय सरकार किसी राज्य में इस संहिता के निर्णय को करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देगी तथा राज्य सरकार ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

66. इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई बाल महानामा गांधी राष्ट्रीय यात्री रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 तथा के प्रभाव और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1948 या उसके तदस्वत समय पर प्रति कुँया प्रभाव नहीं डालेगी।

67. (1) सम्मिलित सरकार पूर्व प्रकाशन की रीत में अन्ध रहते हुए इस संहिता के उपबंधों को पूरा करने के लिए निर्णय बना सकेंगे।

(2) पूर्वगामी शक्तिक की चाकर्पक्त तथा प्रति कुँया भाव बाल बिना ऐसे निर्मित निम्न-लिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) वहां मजदृढ़ताओं की संग्रहण करने की रीति जहां ऐसी दरे धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन घंटा या दिवस के मास के आधार पर निर्यात की जाती है और

(ख) कठिन कार्य को धारा 6 की उपधारा (6) के खंड (ख) के अधीन कर्मचारों
के क्वतिप श्रवण के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर के अतिरिक्त विचार में लिया जाए ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अधीन मानदंड ;

(घ) वह मामले और परिस्थितियाँ, जिनमें किसी कर्मचारी को सामान्य कार्य दिवस बनाने वाले अपेक्षित घंटों से कम कालवधि के लिए नियोजित किया जाता है, जो धारा 10 के अधीन सामान्य पूण अधिकार कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ;

(ङ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन वह सीमा और शर्तें जो कर्मचारियों के कलपित वर्गों के संबंध में लागू होंगी ;

(च) धारा 14 के अधीन घंटा, दिवस या ऐसी अन्य दीर्घ मजदूरी अधिक दुरार मजदूरी की न्यूनतम दर नियम करने की रीति ;

(छ) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (छ) के उपखंड (i) के अधीन श्रम के कल्याण के लिए गठित किसी मिलिसे के कांटीय की रीति ;

(ज) धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन अधिक रकम की वसूली की रीति ;

(झ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन जुमाना अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी दुरार अनुमोदन प्रदान करना ;

(ञ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कृत्यों और लोपों के प्रदशन की रीति ;

(ट) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन जुमाना अधिरोपित करने की प्रक्रिया ;

(ठ) धारा 19 की उपधारा (8) के अधीन सभी जुमानों और उनकी वसूलियों को अभिलिखित करने के रजिस्टर का प्रसू ;

(१) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन कार्य से अनुपस्थिति के लिए कांटीय करने की प्रक्रिया ;

(२) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन अपहरण या नुकसान के लिए कांटीय करने की प्रक्रिया ;

(३) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन सभी कांटीयों और उनकी वसूलियों को अभिलिखित करने के रजिस्टर का प्रसू ;

(४) धारा 23 के खंड (घ) के अधीन रोजगार प्रारंभ होने के पश्चात किसी कर्मचारी को दिए गए धन के अभिम की वसूली की शर्तें ;

(५) धारा 23 के खंड (घ) के अधीन किसी कर्मचारी दुरार पहले से ही अर्जित नहीं की गई मजदूरी की वसूली की शर्तें ;

(६) धारा 24 के अधीन क्रूणों की वसूली और उस पर संदेह व्याज की दर की कांटीय ;

(७) धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड, जिसके अंतर्गत धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड दुरार गठित उनकी समितियों और उपसमितियों बी हैं, दुरार प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की रीति ;
(न) केंद्रीय सरकार बोर्ड, राज्य सरकार बोर्ड, जिसके अंतर्गत धारा 42 की 
उपधारा (11) के अधीन राज्य सरकार बोर्ड दुर्भाग्य गठित उसकी समितियां और 
उपसमितियां भी हैं, के सदस्यों की पदार्पणः ;

(प) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन अंतर्गत धारा 44 की 
उपधारा (1) के अधीन नियोजित 
व्यक्ति की मृत्यु की दशा में विविध असंविनितरित शोधयों को ऐसे प्राधिकारी के पास 
जमा करने का प्राधिकार और रीति ;

(फ) धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन अनेक कर्मचारियों के संबंध में एकल 
आवेदन का प्रस्तुत ;

(ब) धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन व्यक्ति व्यक्ति दुर्भाग्य अंतर्गत 
प्राधिकारी या बोर्ड को अपील करने का प्रस्तुत ;

(भ) धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नियोक्ता दुर्भाग्य रजिस्टर को रखने 
की रीति ;

(ग) धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन मजदूरी परिवर्तन जारी करने की रीति ;

(घ) धारा 51 की उपधारा (5) के अधीन सुकरक्त संस्था दुर्भाग्य की जाने 
वाली अन्य शक्तियों :

(ङ) धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन शासन के अधिनीयण की रीति ;

(य) धारा 56 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्देश किया राजपत्र अधिकारी 
दुर्भाग्य अपराध के शमन की रीति ;

(यक) कोई अन्य विषय, जिसकी इस संहिता के उपबंधों के अधीन अपेक्षा हो 
या विहित किया जाए।

(3) केंद्रीय सरकार, पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए नियमितित 
नियम बनाएगी,--

(क) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन निम्नतम मजदूरी नियत करने की 
रीति ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार से परामर्श करने की 
रीति ;

(ग) धारा 26 की उपधारा (7) के खंड (i) के अधीन छठे लेखा वर्ष के लिए 
आगे रखने या मुजरा करने की रीति ;

(घ) धारा 26 की उपधारा (7) के खंड (ii) के अधीन सातवें लेखा वर्ष के लिए 
आगे रखने या मुजरा करने की रीति ;

(ड) धारा 32 के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन सकल शासन संगठित करने 
की रीति ;

(च) धारा 34 के खंड (ग) के अधीन स्थापित की बाबत ऐसी और राशि ;

(छ) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और चौथा वर्ष 
तक और जिसमें वह चौथा वर्ष भी सम्मिलित है, मुजरा किया जाने के लिए अग्रीत 
किया जाने वाली क्रम आंदोलन अधिशिष्ट के आधिक्य को उपयोग करने की रीति ;

(ज) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और चौथा वर्ष
तक और जिसमें वह चौथा वर्ष भी समिलित है, मुजरा किए जाने के लिए अन्यनीत किए जाने वाले न्यूनतम रकम या कमी को उपयोग करने की रीति; और

(इ) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन जांच कराने की रीति।

(4) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीर्ष, संसदके प्रत्येक सदन के समस्त, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है। यदि उस सत्र के या पूर्व ऑफिस, सरकारी सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन के सत्र के अधीन निर्देशन द्वारा अन्तर्वित करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में हो प्रभावी होगा। यदि उनके अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निश्चित रूप में हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निश्चित होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधानसभा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

(5) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीर्ष, संसदके प्रत्येक सदन के समस्त रखा जाएगा।

68. (1) यदि इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती, जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों तो:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसे कोई आदेश, इस संहिता के प्रारंभ के तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीर्ष, संसदके प्रत्येक सदन के समस्त रखा जाएगा।

69. (1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का लोप किया जाता है।

(2) ऐसे निर्णय के होते हुए भी इस प्रकार निरस्त अधिनियमितियों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत उनके अधीन कोई अधिसूचना, नामर्निर्देश, नियुक्ति, आदेश या निदेश या किसी प्रयोजन के लिए ऐसी अधिनियमितियों के किसी उपबंध के अधीन उपबंधित मजदूरी की रकम, ही किसी प्रयोजन के लिए इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या की गई या उपबंधित समझा जाएगा और वह उस सीमा तक जिस तक वह इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है, इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन या केंद्रीय सरकार की उस प्रभाव की अधिसूचना द्वारा निरस्त किए जाने तक प्रवृत्त रहेगी।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव दाले विना साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 ऐसे अधिनियमितियों के निर्णय को लागू होगी।
उद्देश्यों और कारणों का कथन

दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, जिसने अपनी रिपोर्ट जून, 2002 में प्रस्तुत की थी, यह सिफारिश की थी कि श्रम विधियों के वर्तमान समुच्चय को निम्नलिखित समूहों में विस्तृत रूप से समामेलित किया जाना चाहिए, अर्थात् :-

(क) औद्योगिक संबंध
(ख) मजदूरी
(ग) सामाजिक सुरक्षा
(घ) सुरक्षा और खुदान
(ङ) कल्याण और कार्य की दशाएं

2. उक्त आयोग की सिफारिशों और सरकार, कर्मचारियों और औद्योगिक प्रतिनिधियों के विचारवंश में किए गए विचार-विमर्श के अनुसार में प्रस्तावित विधान लाने का विविध विधान किया गया है। प्रस्तावित विधान का आशय मजदूरी से संबंधित निम्नलिखित चार केंद्रीय श्रम अधिनियमों के सुसंगत उपबंधों को समामेलित, सरल और सुव्यवस्थित करना है, अर्थात् :-

(क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
(ग) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और
(घ) समान पारिशिक अधिनियम, 1976

3. उक्त विधियों का समामेलन कार्यन्वयन को सुकर बनाएगा और कर्मकारों के कल्याण और फायदों की आधारभूत धारणाओं से समझौता किए जाने के लिए उपबंध िै। प्रस्तावित विधान, इसके प्रवर्तन में औद्योगिक के उपयोग को समर्पित करेगा। इन सभी उपायों से पारदर्शिता और जवाबदेही अपनी, जिसपर अधिक प्रभावी प्रवर्तन किया जाएगा। सभी कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी के क्षेत्र का विस्तार सामान्य के लिए एक बड़ा कदम होगा। श्रम विधियों की अनुपालना को सुधारने की सुकरता से और अधिक उपक्रमों की स्थापना में अभिवृद्धि होगी और इस प्रकार इससे नियोजन अवसरों का सुजन उत्प्रेरित होगा।

4. मजदूरी संहिता, 2017 में मुख्य बातें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं : —

(क) इसमें मजदूरी, समान पारिशिक, उसका संदाय और बोनस से संबंधित सभी आवश्यक तत्त्वों के लिए उपबंध है;
(ख) मजदूरी से संबंधित उपबंध संगठित सेक्टर के साथ ही साथ असंगठित सेक्टर दोनों को समाविष्ट करने वाले सभी नियोजनों को लागू होगा;
(ग) न्यूनतम मजदूरी नियत करने की शक्ति का, केंद्रीय सरकार के साथ ही
साध राज्य सरकार में अपने-अपने क्षेत्रों में निहित होना बना रहेगा:

(अ) यह समृद्धित सरकार को ऐसे कारक अवधारित करने के लिए समर्थ बनाता है, जिसके द्वारा कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम मजदूरी नियम का आवश्यक होगा। उक्त कारक को, अवश्य मजदूर के संतुलन, सभी मजदूर तथा गलती की कठिनाई, कार्य स्थान की भौगोलिक अवस्थिति और ऐसे अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाएगा, जो समृद्धि सरकार आवश्यक समझे।

(ब) मजदूरों के समय पर संदर्भ और मजदूरों में से प्राधिकृत कटेड़ीयों से संबंधित उपबंधों को, जो वर्तमान में केवल मीडिया से रूप प्रतिमास मजदूरों पाने वाले कर्मचारियों की बाबत लागू होते हैं, मजदूरों की अधिकतम सीमा को विचार में लाए बिना सभी कर्मचारियों का लागू किया जाएगा। समृद्धि सरकार ऐसे उपबंधों का विस्तार केंद्रीय सरकार के स्थापनों तक भी कर सकेगी।

(च) इसमें यह उपबंध है कि कर्मचारियों को मजदूरों का संदर्भ भी चेक देना या डिजिटल या इलेक्ट्रानिक पद्धतियों के माध्यम से या कर्मचारियों के हाथ में जमा करके किया जाएगा।

(छ) इसमें विलभन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए निम्नतम मजदूरों का उपबंध है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए अधिकृत निम्नतम मजदूरों से कम निम्नतम मजदूरों नियत न करे।

(ज) निरीक्षण में मनमानीपन और अनाचार को दूर करने के उद्देश्य से यह, समृद्धि सरकार को, निरीक्षकों के स्थान पर, निरीक्षकों-सह-सुकरकताओं को नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है, जो सूचना का प्रदाय करेंगे और नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सलाह देंगे।

(झ) यह समृद्धि सरकार को बोनस की पात्रता और बोनस की संगणना के प्रयोजनों के लिए मजदूरों की अधिकतम सीमा अवधारित करने के लिए सशक्त करता है।

(ञ) बड़े स्तरों पर प्राधिकरणों की संख्या के स्थान पर यह समृद्धि सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन दावे को सुनने और विचारित करने के लिए एक या अधिक प्राधिकरणों को नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है।

(ट) यह समृद्धि सरकार को शिकायतों के निवारण और दावों का शीघ्र, सस्ता और दक्षतापूर्वक निर्धारण करने के लिए अपील सुनने के लिए अपील प्राधिकरण स्थापित करने के लिए समर्थ बनाता है।

(घ) इसमें प्रस्तावित विधान के उपबंधों के विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के लिए वर्गीकृत शास्त्र का उपबंध है।
(अ) इसमें यि उपबंध है कि कर्मचारियों के कार्यवाहियों आरंभ करने से पहले नियोक्तों को सूची बनाने का अवसर देगा, जिससे प्रस्तावित विधान के उपबंधों की अनुपालना की जा सके। तथापि पांच वर्ष की अवधि के भीतर उल्लंघन की पुनरावृत्ति की दशा में ऐसा अवसर नहीं दिया जाएगा:

(ब) यह अधीनस्थ न्यायपालिका के बोझ को दूर करने के लिए केवल पचास हजार रुपए तक के जुमाने से दंडनीय मामलों के निपटारे के लिए भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों या राज्य सरकार में समतुल्य स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करने का उपबंध करता है:

(व) इसमें उन अपराधों के शमन का उपबंध है, जो कारावास से दंडनीय नहीं है:

(ग) इसमें समुचित सरकार को, मजदूरों, महिला कर्मचारी आदि से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा सलाहकारी बोर्ड गठित करने के लिए क्रमशः केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को समर्थन देना है:

(घ) किसी कर्मचारी द्वारा दावा फाइल करने की परिसीमा अवधि को छह मास से लेकर दो वर्ष तक की वर्तमान समयावधि के स्थान पर तीन वर्ष किया गया है, जिससे कर्मचारी को अपने दावों को तय करने के लिए अधिक समय दिया जा सके।

5. समरूप रूपरेखा के अनुसार मजदूर संहिता, 2017 को पूर्णतः स्थापित किया गया था और उसे श्रम की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निरदेशित किया गया था जिससे 18 दिसंबर, 2018 को अपनी तैनातिस्वी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तथापि, उक्त सदन द्वारा उक्त विधेयक को पारित किए जाने से पूर्व यह सीधे लोक सभा के विघटन पर व्यवस्था हो गया। अतः, मजदूर संहिता, 2019 को लाया जा रहा है।

6. खंडों पर टिप्पणी में विधेयक में अंतर्विष्ट विविध उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।

नई दिल्ली:
संतोष गंगवार
18 जुलाई, 2019
खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 2 संहिता में प्रयोग किए गए कुछ अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ “लेखावर्ष”, “सलाहकार बोड़”, “समृद्धि सरकार”, “कर्मचारी”, “नियोजक”, “अधिकरण”, “मजदूरी” और “कर्मकार” सम्बदित हैं।

विधेयक का खंड 3 लिंग के आधार पर शेषभाव के प्रतिशेष का उपबंध करने के लिए है। यह भी प्राप्तिवाद करता है कि नियोक्ता मजदूरी के संबंध में लिंग के आधार पर कर्मचारियों में कोई शेषभाव नहीं करेगा और नियोक्ता किसी कर्मचारी की मजदूरी की दर को कम नहीं करेगा।

विधेयक का खंड 4 समान या उसी प्रकृति के कार्य के संबंध में विवादों का अवधारण का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 5 मजदूरी की न्यूनतम दर पर संदाय का उपबंध करने के लिए है। समृद्धि सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी की न्यूनतम दर से कम किसी राज्य या उसके भाग के लिए कर्मचारी को संदाय नहीं करेगा।

विधेयक का खंड 6 न्यूनतम मजदूरी को नियत करने का उपबंध करने के लिए है। समृद्धि सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी को नियत करना, निम्नतम मजदूरी को नियत करने के लिए केंद्रीय सरकार की शक्तियों के अधीन होगा। केंद्रीय सरकार कालानुपाती काम, मात्रानुपाती काम के लिए और अवधि के लिए घंटे या दिवस या मास द्वारा होगा। यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए निम्नतम मजदूरी का उपबंध करने के लिए है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए अधिसूचित निम्नतम मजदूरी से कम निम्नतर मजदूरी नियत न करे।

विधेयक का खंड 7 न्यूनतम मजदूरी के संघटक का उपबंध करने के लिए है। समृद्धि सरकार द्वारा नियत या पुनरीक्षित की गई कोई न्यूनतम मजदूरी की दर अन्य बातों के साथ-साथ आधारभूत दर, जीवनायापन भत्ते की लागत और रियायतों का मूल्य, यदि कोई हो, से गठित हो सकेगी।

विधेयक का खंड 8 न्यूनतम मजदूरी को नियत करने और उसकी पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 9 केंद्रीय सरकार की निम्नतम मजदूरी नियत करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न निम्नतम मजदूरी नियत की जा सकेगी। केंद्रीय सरकार, निम्नतम मजदूरी नियत करने से पूर्व केंद्रीय सलाहकार बोड़ की सलाह अभिप्राप्त कर सकेगी।

विधेयक का खंड 10 अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य कार्य दिवस से कम के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी का उपबंध करने के लिए है। कर्मचारी, जहां कार्य करने में उसकी असफलता, कार्य करने में उसकी अनिच्छा दावा कार्य की गई है, न कि नियोक्ता दावा कार्य प्रदान करने का लोप किए जाने के कारण, तो वह सामान्य पूर्ण कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
विधेयक का खंड 11 कार्य के दो या अधिक वर्ग के लिए मजदूर का उपबंध करने के लिए है। यह उपबंध करता है कि जहां कोई कर्मचारी दो या अधिक वर्ग के कार्य करता है जिनसे से प्रत्येक के लिए मजदूर की भिन्न दर लागू है, तो नियोक्ता ऐसे कर्मचारी को प्रत्येक वर्ग के ऐसे कार्य के लिए क्रमशः लगाने वाले समय के लिए प्रत्येक ऐसे वर्ग के संबंध में लागू न्यूनतम दर से कम मजदूर का संदाय नहीं करेगा।

विधेयक का खंड 12 मद कार्य के लिए न्यूनतम समय दर मजदूर का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 13 समृद्धिस्थ सरकार द्वारा सामान्य कार्य दिवसों के लिए कार्य के नियत घंटे, विश्राम का दिन और विश्राम के दिन पर कार्य के लिए संदाय का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 14 अतिकाल के लिए मजदूर का संदाय का उपबंध करने के लिए है जो सामान्य कार्य दिन को गठित करने वाले घंटों की संख्या से अधिक है और अतिकाल की दर मजदूर की सामान्य दर से दुगुने से कम नहीं होगी।

विधेयक का खंड 15 यह उपबंध करने के लिए है कि कर्मचारी को सभी मजदूरों से वर्तमान सिक्के या करेसी नोटों में या चेक द्वारा या बैंक खाते में अंकीय या इलेक्ट्रॉनिक ढंग से मजदूरी जमा करके संदर्भ होगी, अन्यथा समृद्धिस्थ सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट उद्योगिक में या अन्य स्थापना में मजदूर को केवल चेक द्वारा या जमा द्वारा मजदूर का संदाय करेगा।

विधेयक का खंड 16 कर्मचारियों के लिए मजदूर का उपबंध करने के लिए है जो एक माह से अधिक नहीं होगी या तो दैनिक या साप्ताहिक या इकाइयों के अधिकार के दौरान संदाय की जाएगी।

विधेयक का खंड 17 मजदूरियों के संदाय के लिए मासिक आधार पर, दैनिक आधार पर, साप्ताहिक आधार पर और पांचवें आधार पर समय-सीमा का उपबंध करने के लिए है। सेमी से हटाने, पदद्रुत करने, छंटनी, त्यागपत्र या स्थापना के बंद होने के कारण कर्मचारी को संदर्भ मजदूर दो सप्ताह के भीतर संदाय की जाएगी। समृद्धिस्थ सरकार इस खंड में उपबंधित समय-सीमा से अलग समय-सीमा उपबंधित कर सकती है।

विधेयक का खंड 18 कर्मचारी के मजदूर से की जाने वाली कटौतियों के उपबंध के लिए है। प्रस्तावित विधियाँ के अधीन प्राधिकृत किए जाने के प्रति कोई कटौती नहीं की जाएगी। किसी मजदूर अधिक मजदूर की कटौती की अधिकार सीमा पहाड़ प्रतिशत है। यह और उपबंध करने के लिए है कि यदि कोई प्राधिकृत, न्याय या सरकारी निधि या यथापेक्षित किसी अन्य लेखा के खाते में कर्मचारियों की मजदूर दो से की गई कटौती का निषेध करने में व्यतिक्रम करता है तो, कर्मचारी ऐसे व्यतिक्रम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

विधेयक का खंड 19 किसी कर्मचारी पर नियोजक द्वारा अधिरोपित जुर्माने के उपबंध के लिए है। खंड में केवल विनिर्दिष्ट अनुमोदन और प्रक्रिया के अनुसार में
किसी कर्मचारी पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।

विधेयक का खंड 20 काम से अनुपस्थिति के लिए कटौतियों के उपबंध के लिए है। ऐसी कटौती के मद्देनजर मजदूरी अवधि के संबंध में, जिसमें नियोजित व्यक्ति को संदेह मजदूरी के उसके नियोजन के नियमों में वह कार्य के लिए अपेक्षित था के दौरान ऐसी मजदूरी अवधि के भीतर कुल अवधि को उसकी अनुपस्थिति के लिए जिसमें वह अवधि उसके अनुपात में अधिक है, कटौती की गई है, के संबंध में कोई वाद नहीं होगा। कोई कर्मचारी स्थान से अनुपस्थित समझा जाएगा जहां वह कार्य के लिए अपेक्षित है यदि, यद्यपि ऐसे स्थान में उपस्थित रहता है, जहां वह हड़ताल में होने या किसी अन्य कारण के लिए इंकार करता है, जिसे उसके कार्य को करने की परिस्थितियों में युक्तियुक्त नहीं है।

विधेयक का खंड 21 नुकसानी या हानि के लिए कटौती के उपबंध के लिए है। नुकसानी या हानि के लिए कटौती कर्मचारी की किसी उपेक्षा या व्यतिरिक्त द्वारा नियोजक को कार्य किरिय मजदूरी के उसके तनाव के संबंध में अधिक नहीं होगी। कोई कटौती तब तक नहीं होगी जब तक कि कर्मचारी को कटौती के विद्युत कारण बताए उसके अनुसार या ऐसी कटौती करने के लिए विहित शर्त में ऐसी प्रक्रिया के अनुसार में अस्वर न दिया गया हो।

विधेयक का खंड 22 दी गई सेवाओं के लिए कटौती के उपबंध के लिए है। कोई कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कर्मचारी को हानि उपेक्षा या हानि के अधीन या अन्य कारण के लिए उसके द्वारा कर्मचारी गृह वास सुविधाओं को सेवा स्वीकार नहीं की जाती है और ऐसी कटौतियों गृह वास सुविधाओं का समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगी। समुचित सरकार उक्त उद्देश्यों के लिए शर्त अधिरोपित कर सकेगी।

विधेयक का खंड 23 अधिमों की वसूली के लिए कटौती के उपबंध के लिए है। नियोजन के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात कर्मचारी को दी गई धन के अधिम की वसूली कटौती के अधीन उक्त खंड में उपबंधित की गई शर्तों के अधीन होगी।

विधेयक का खंड 24 उधार की वसूली के लिए कटौती और उक्त वसूली के ढंग के उपबंध के लिए है।

विधेयक का यह खंड 25 उपबंधित करता है कि प्रस्तावित संहिता के अध्याय 3 में उपबंधित मजदूरी के संदर्भ से संबंधित उपबंध सरकारी संस्थानों को लागू नहीं होगा, जब तक कि समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिसूचना में विनियमित सरकारी धारणाओं को ऐसे उपबंध लागू करे।

विधेयक का खंड 26 बोनस की पात्रता के उपबंध के लिए है। बोनस के संदर्भ की सीमा समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना में विनियम रकम से अधिक नहीं होगी। जहां कर्मचारी की मजदूरी प्रतितम परिणाम रकम से अधिक है, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्धारित है, कर्मचारी को संदेह बोनस इस प्रकार संकलित किया जाएगा मानो उसकी मजदूरी प्रतितम समुचित सरकार द्वारा अवधारित ऐसी रकम हो या समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी लिया हो, में से जो अधिक हो। बोनस के संदर्भ से संबंधित अन्य व्यापर भी इस खंड में उपबंधित
विधेयक का खंड 27 ऐसे मामले में आनुपातिक कमी के लिए उपबंध करता है जहां कोई कर्मचारी लेखा वर्ष में सभी कार्यरत दिनों में कार्य नहीं करता है, इत्यादि।

विधेयक का खंड 28 यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कर्मचारी लेखा वर्ष में सभी कार्य दिनों के लिए काम के दिनों की संख्या की संगणना में काम नहीं किया है। इसमें विनिर्दिष्ट कार्य दिनों के निश्चित दिनों को इस खंड में उपबंधित किया गया है।

विधेयक का खंड 29 बोनस प्राप्त करने के लिए कपट, इत्यादि के कारण सेवा से पदरथुत कर दिया जाता है, के उपबंध के लिए है।

विधेयक का खंड 30 उपबंधित करता है कि किसी स्थापना से विभिन्न विभाग का उपक्रम या शाखाएं चाहे वह समान स्थापना या विभिन्न स्थानों पर स्थित है, सभी ऐसे विभाग या उपक्रम या शाखाएं उस वर्ष के लिए इस संहिता के अधीन बोनस के परिकलन के प्रयोजनों के लिए उस समान स्थापना के भागों के रूप में माने जाए जाएँ।

विधेयक का खंड 31 आबंटित अतिशेष से संदेह के उपबंध के लिए है। यह समुचित सरकार को भी सशक्त करता है कि अधिसूचित प्राप्तिवर्धन अधिकारियों के भीतर नियोजक को तुलनात्मक अपने समान प्रस्तुत करने को कह सकेगा।

विधेयक का खंड 32 बैंकिंग कंपनी की दशा में सकल लाभ की संगणना के लिए उपबंध करता है जिससे ऐसे किसी अन्य मामले में, ऐसी वीटिंग में, जो केंद्रीय सरकार, नियोजित द्वारा उपबंधित करे।

विधेयक का खंड 33 किसी लेखा वर्ष के संबंध में उपबंध अतिशेष के उपबंध के लिए है।

विधेयक का खंड 34 पूर्व प्रभार के रूप में सकल लाभों से कटोटी योग्य राशियों के उपबंध के लिए है जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियोजकों में उपबंधित रकम सम्मिलित है।

विधेयक का खंड 35 नियोजक द्वारा संदेह पर्यक्ष कर के परिकलन के उपबंध के लिए है। किसी लेखा वर्ष के लिए नियोजक द्वारा संदेह कोई प्रत्यक्ष कर इस खंड में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन इस वर्ष के लिए नियोजक की आय को लगू दरों पर संगणित किया जाएगा।

विधेयक का खंड 36 आबंटित अधिशेष का आगे के लिए रखा जाना और मुजरे का उपबंध करने के लिए है। जहां किसी लेखा वर्ष के लिए आबंटित अधिशेष उस स्थापना में सक कर्मचारियों को संदेह अधिकतम बोनस की रकम से अधिक है वहां वह अधिकतम उस लेखा वर्ष में उस स्थापना में नियोजित कर्मचारियों के कुल वेतन या मजदूरी में बीस प्रतिशत की सीमा के अधीन रहने हुए उत्तरक्त लेखा के लिए और उसी प्रकार यथार्थ लेखा वर्ष तक जिससे वह वार्षिक लेखा भी सम्मिलित है और इसमें ऐसी रीटिंग में, जो केंद्रीय सरकार, नियोजित द्वारा उपबंधित करे, बोनस के संदेह के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आगे रखे जाने के लिए अवगत किया जाएगा। आगे उपबंध किया जाता है कि जहां किसी लेखा वर्ष के लिए कोई उपलब्ध अधिशेष नहीं है तो उस वर्ष के बावजूद आबंटित अधिशेष उस स्थापना के कर्मचारियों
को संदेय न्यूनतम बोनस की रकम से कम पड़ता है और आगे के लिए रखी गई कोई भी ऐसी रकम या पर्याप्त रकम नहीं हैं, जो न्यूनतम बोनस के संदाय के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा सके, तब, यथासिद्धति, ऐसी न्यूनतम रकम या कमी को उत्तरार्थी लेखा वर्ष में और चाहे लेखा वर्ष तक जिसमें वह चौथा लेखा वर्ष भी सम्मिलित है ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार, नियोजक द्वारा उपबंधित करे, मुजरा किए जाने के लिए अनिवार्य किया जाएगा। यह भी उपबंध करता है कि जहां पूर्व की लेखा वर्ष से कोई रकम अनिवार्य की गई है या उसे मुजरा की गई है वहां ऐसे नियम एवं अन्य मामले में और उसे ध्यान में रखने के लिए लागू किए जाएंगे।

विधेयक का खंड 37 प्रस्तावित विधायन के अधीन सिद्धांत उपबंध एवं अन्तरिम संदेय बोनस के समायोजन का उपबंध के लिए है।

विधेयक का खंड 38 में उपबंधित है कि कोई कर्मचारी ऐसा अवचार का दोषी नियोजक को वित्तीय हानि कारित होती है वहां नियोजक बाकी, यदि कोई हो, प्राप्त करने का हकदार होगा।

विधेयक का खंड 39 बोनस के संदाय के लिए समय-सीमा का उपबंध के लिए है। बोनस के संदाय के लिए किसी कर्मचारी को संदेय सभी रकम उसके नियोजक द्वारा उसके बैंक खाते में जमा करने के द्वारा संदत्त होगी। कुछ दशाओं में बोनस का संदाय के लिए कालावधि के वितरण से संबंधित विनिर्दिष्ट है इसका प्रयोग कि बदाई गई कुल कालावधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी और जहां उच्चतर दर पर संदाय के लिए विवाद हो तो नियोजक लेखा वर्ष की समाप्ति से आठ मास की अवधि के भीतर प्रस्तावित विधायन के उपबंध के अनुसार कर्मचारी द्वारा अजित मजदूर का आठ साल के बाद तीन तक प्रतिशत संदत्त करेगा।

विधेयक का खंड 40, उक्त खंड में यथाविनिर्दिष्ट कर्तिपय मामलों में परिलक्षित स्थायी में बोनस के संदाय के सम्बन्ध में अध्याय 4 के उपबंधों को लागू करने का, उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 41 कर्तिपय मामलों, जिसमें अन्य बातों के साथ, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रेडक्रस सोसाइटी या उसी प्रकृति की कोई अन्य संस्था, जिसके अन्तर्गत उसकी शाखाएं भी हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, आदि में नियोजित कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, में बोनस के संदाय के सम्बन्ध में अध्याय 4 के उपबंधों के लागू नहीं होने का, उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 42 केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सलाहकार बोई गठन करने का उपबंध करने के लिए है जो प्रकृति में तीन सदस्यीय होगा जिसमें कर्मचारी, नियोजकों और स्वतंत्र व्यक्तियों के प्रतिनिधियों होंगे साथ ही इस बोई में एक निर्धारित महिला प्रतिनिधि होंगी और उक्त बोई केंद्रीय सरकार को उसे निर्दिष्ट किए गए मामलों पर सलाह देगा। यह और उपबंध भी करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य सरकार को सलाह, जिसमें अन्य बातों के साथ न्यूनतम मजदूर को नियत करना या उसका निरीक्षण करना, नियोजन अवसरों को बढ़ाना आदि भी हैं, देने के लिए राज्य सलाहकार बोई का गठन करेगी। राज्य सलाहकार बोई इस खंड में विनिर्दिष्ट विषयों से सम्बंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक या उससे अधिक
भविष्यक का खंड 43 नियोजक द्वारा विशिष्ट शोध्यों के संदर्भ के लिए उत्तरदायित्व का उपबंध करने के लिए है। शोध्यों के संदर्भ में विश्लेषण के संदर्भ के लिए उत्तरदायित्व का उपबंध करने के लिए है। ऐसे शोध्यों का संदर्भ करने के लिए है।

भविष्यक का खंड 43 किसी कर्मचारी की मृत्यु के संदर्भ में विशिष्ट असंविन्यता शोध्यों का संदर्भ के लिए है। ऐसे शोध्यों का संदर्भ करने के लिए है।

भविष्यक का खंड 44 यह तथा कर्मचारी के मध्य प्रस्तावित विधान के अंतिम उद्धोत होते हैं, का विविधता करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है। उक्त अधिकारी को प्रतिक्रिया जिसे दावेकृत रकम के दस गुणा तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे शोध्यों का संदर्भ करने के लिए है।

भविष्यक का खंड 45 सम्मिलित सरकार द्वारा कार्यकर्ता के दायों, जो प्रस्तावित विधान के अर्थ में उद्धोत होते हैं, का विविधता करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है। उक्त अधिकारी को प्रतिक्रिया का प्रतिक्रिया जिसे दावेकृत रकम के दस गुणा तक बढ़ाया जा सकता है। केवल दावेकृत रकम के संदर्भ का अधिनियमन करने की शक्ति है।

भविष्यक का खंड 47 यदि नियोजक और उसके कर्मचारी के मध्य प्रस्तावित विधान के अर्थ में दायें दोनों या परिदृश्य सेक्टर के संदर्भ में दोनों की बादल इस संहिता के नियुक्ति के दायें दोनों की बादल विविधता उद्धोत होता है। उक्त नियोजक ऊँची और अधिकारिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्थ में ऊँची और अधिकारिक विवाद संधान जाएगा, का उपबंध करने के लिए है।

भविष्यक का खंड 48 यदि नियोजक और उसके कर्मचारी के मध्य प्रस्तावित विधान के अर्थ में दायें दोनों या परिदृश्य सेक्टर के संदर्भ में दोनों की बादल इस संहिता के नियुक्ति के दायें दोनों की बादल विविधता उद्धोत होता है। उक्त नियोजक ऊँची और अधिकारिक विवाद अधिनियम, 2013 के अर्थ में ऊँची और अधिकारिक विवाद संधान जाएगा, का उपबंध करने के लिए है।
शुद्धता को साबित करना आवश्यक नहीं होगा। तथापि, जब उक्त प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकारी, अधिकरण या मध्यस्थ को किसी कर्मकार या विवाद का पक्षकार होते हुए व्यवसाय संघ उक्त कथन के किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तब प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकारी, अधिकरण या मध्यस्थ के आदेश पर निगम या कम्पनी जैसा भी मामला हो, उसका स्पष्टीकरण करेंगे, का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 48 नियोजकों, जो निगम या कम्पनी नहीं हैं, के लेखाओं की लेख परीक्षा का उपबंध करने के लिए है। जहां नियोजक लेखाओं को लेख परीक्षित करने में असफल रहता है तब ऐसे लेख परीक्षक या लेख परीक्षकों, जैसा प्राधिकारी उचित समझे, दवारा लेखाओं को लेख परीक्षित करने के लिए उपबंध है और ऐसी लेख परीक्षा, जिसके अन्तगत लेख परीक्षक या लेख परीक्षक का पारिश्रमिक भी है, से अनुषांधित व्यय प्राधिकरण दवारा अवधारित किए जाएंगे और नियोजक दवारा सदन किए जाएंगे। संदाय के विफल होने की दशा में, यह खंड ऐसे व्ययों की वसूली के लिए उपबंध अन्तर्विष्ट करता है।

विधेयक का खंड 49 प्राधिकरण के आदेश के विस्तार अपील करने का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 50 अभिलेख, रिटने और सूचनाओं का उपबंध करने के लिए है। उक्त खंड नियोजक दवारा रजिस्टर, जिसमें नियोजित व्यक्तियों, मस्टर रोल, मजदूरी और ऐसे अन्य त्वरित, जो समुचित सरकार दवारा इन नियमों में वित्तपना किए जाएं, अन्तर्विष्ट होंगे, के अनुकूलण के लिए उपबंध करता है। यह नियोजक स्थापन के प्रमुख स्थान पर सूचनापत्र में एक सूचना प्रदर्शित करते हैं, जिसमें इस प्रस्तावित विधान का सार, कर्मकारों की प्रवर्तन मजदूरी, मजदूरों के अवधि, मजदूरों के संदाय का दिन या तारीख और समय तथा अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुकरकता का नाम और पता होगा, का उपबंध करता है। मजदूरों पर पांच जारी करने के लिए भी उपबंध है। नियोजक, जो कृषि या घरेलू प्रयोजन के लिए पांच से अन्य व्यक्तियों को नियोजित करता है, जिसमें इन उपबंधों से छूट दी जाएगी लेकिन जब कभी अपेक्षा की जाए तब निरीक्षक-सह-सुकरकता के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों को मजदूरों के संदाय का प्रवर्तन सहित प्रस्तुत करेगा।

विधेयक का खंड 51 निरीक्षक-सह-सुकरकता की नियुक्ति और उनकी शक्तियों का उपबंध करने के लिए है। निरीक्षक-सह-सुकरकता नियोजकों और कर्मकारों को प्रस्तावित विधान के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए अत्यधिक प्रावधान साधनों से सम्बन्धित सूचना और सलाह दे सकेगा। यह खंड निरीक्षक-सह-सुकरकता को निरीक्षण स्कीम के आधार पर स्थापन के निरीक्षण के लिए भी सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 52 प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन अपराधों के संज्ञान का उपबंध करने के लिए है। अपराधों का संज्ञान न्यायालय दवारा परिवाद प्रस्तुत करने पर लिया जाएगा। मैट्रिक्सकेस्टर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय अपराधों का विचारण नहीं करेगा।
विधेयक का खंड 53 केवल पचास हजार रुपए तक के जुमाने से दंडनीय मामलों के निपटारे के लिए भारत सरकार अवर सचिव या राज्य सरकार के समतुल्य स्तर के अधिकारी से अन्य अभिकृत अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए उपबंध करता है जिससे कि अधीनस्थ न्यायपालिका का बोझ कम हो सके।

विधेयक का खंड 54 अपराधों के लिए शासितों का उपबंध करने के लिए है। अपराधी, जो दोबारा ऐसे समान अपराध के लिए इसको दोषित करा चुका है, दोषी पाया जाता है। निरीक्षण-सह-मुकाबल के अंतर्गत, अभियोजन कार्यवाहियां आरम्भ करने से पहले प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अनुत्तर ने नियोजक को एक अवसर प्रदान करेगा। अभियोजन कार्यवाहियां, नियोजक, जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपबंधों का अनुपान करता है, के विस्तार आरम्भ नहीं की जाएगी। ऐसा अवसर नियोजक को नहीं दिया जाएगा, यदि विधान के समान प्रकृति के उपबंधों के उल्लंघन की पुनरुत्थत हो जाए।

तनरीक-सि-सुकर, अलभ्योजन कार्यवाहियां आरम्भ करने से पहले प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अनुपान में नियोजक को एक अवसर प्रदान करेगा। अलभ्योजन कार्यवाहियां, नियोजक, जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपबंधों का अनुपान करता है, के विस्तार आरम्भ नहीं की जाएगी। ऐसा अवसर नियोजक को नहीं दिया जाएगा, यदि विधान के समान प्रकृति के उपबंधों के उल्लंघन की पुनरुत्थत हो जाए।

विधेयक का खंड 55 कम्पनी द्वारा अपराधों का उपबंध करने के लिए है। यदि अपराध कम्पनी द्वारा किया जाता है, तब तक जिस के अंतर्गत कभी उस कम्पनी का भारसाधक और सचिव हो, जब संचालन वह कम्पनी भी उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विस्तार कर्तव्य किया जाए और दण्डित किया जाने के दायीं होंगे। संस्कृत प्रदान की जाती है, जहां अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है या उसके प्रति सादृश्य के लिए जाने का निवात करने के सब सम्मेलन विस्तार वापस वर्ती हो। कम्पनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति और मौनानुकूलता से अपराध किया गया है तो उन्हें भी दोषी समझा जाएगा।

विधेयक का खंड 56 अपराधों के उपशमन का उपबंध करने के लिए है। अपराध कम्पनी द्वारा किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के लिए जाने के समय उस कम्पनी के काराबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और सचिव हो, साथ ही साथ वह कम्पनी भी उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विस्तार कर्तव्य किया जाए और दण्डित किया जाने के दायीं होंगे। संस्कृत प्रदान की जाती है, जहां अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है या उसके प्रति सादृश्य के लिए जाने का निवात करने के सब सम्मेलन विस्तार वापस वर्ती हो।

विधेयक का खंड 57 बाद का वर्जन के लिए उपबंध करने के लिए है। मामले, जिसमें न्यायालय ऐसे वादों, जिसमें अन्य बातों के साथ, मजदूर की वसूली मजदूर के किसी कटौती, मजदूर और बोनस के संदर्भ में भेद-भाव भी है, को स्वीकार नहीं करेगा।

विधेयक का खंड 58 सम्मुख सरकार या प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन उस सरकार के किसी अधिकारी द्वारा सदासमाप्तिक की गई कार्यवाही के लिए संस्करण का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 59 केवल भार के सम्बन्ध में उपबंध करने के लिए है। परिश्रम या बोनस, आदि के लेखे शोध्यों का संदर्भ किया गया है, के समूह के भार
विधेयक का खंड 60 यह उपबंध करने के लिए है कि कोई संविदा या कार, जिसके द्वारा कोई कर्मकार इस प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अनुसार किसी रक्म के प्रति अधिकार या उसे देने वाले बोंस के अधिकार का त्यौहार कर देता है वहाँ तक किसी व्यक्ति के ऐसी रकम को हटाने या उसे कम करने के उत्तरदायित्व के लिए तात्पर्य है, अंकुट और शून्य होगा।

विधेयक का खंड 61 प्रस्तावित विधान के उपबंधों से असंगत विधियाँ, कारायें को अध्यायी प्रभाव देने का उपबंध करने के लिए है। ऐसी विधियाँ, कारायें, आदि प्रस्तावित विधान के उपबंधों का प्रभाव नहीं करेंगे।

विधेयक का खंड 62 शक्तियाँ के प्रत्यायोजन का उपबंध करने के लिए है। समुदचत सरकार उसके द्वारा प्रस्तावित संहिता में प्रयोग किए जाने योग्य शक्तियाँ, अधिसूचना द्वारा सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी, जैसा इस अधिसूचना में विनिर्देश किया जाए को किन्हीं शर्तों के साथ या उनके बिना प्रत्यायोजित कर सकेंगी।

विधेयक का खंड 63 कठिन पालन में नियोजक को दातिवत से छूट प्रदान करने का उपबंध करने के लिए है। नियोजक, जिसे प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए आरोपित किया जाता है, वहाँ उसके द्वारा की गई सम्मान दिक्षित करने पर किसी अन्य व्यक्ति को, जिस पर वह वास्तविक अपराध के साथ जुड़ा होने का आरोप लगाता है, आरोपी की सृजनाओं के लिए लिये गए समय पर न्यायालय के समक्ष लाए जाने का पात्र होगा और यदि अपराध किया जाने को साबित करने के पश्चात किया जाए है कि उसने प्रस्तावित विधान के उपबंधों के निष्पादन के लिए सम्मान सज्जन बनाने की उपाधि दी गई, जिस पर ऐसे अपराध के लिए दोषित किया जाएगा और नियोजक को आरोपपुरुष किया जाएगा।

विधेयक का खंड 64 सरकार के पास नियोजक की आस्थियाँ की कुर्की के विस्तृत संरक्षण का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 65 केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों का निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है और ऐसे निदेश बाध्यकारी होंगे।

विधेयक का खंड 66 प्रस्तावित विधान के उपबंध महात्मा गांधी यामण कारर गार्डी अधिनियम, 2005 और कोयला खान अभियंत्र निधि और बोंस स्कीम अधिनियम, 1948 या उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी, उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 67 समुदचत सरकार के नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान करने का उपबंध करने के लिए है। ऐसी शक्तियाँ, प्रस्तावित विधान के उपबंधों और ऐसे मामलों, जिस पर ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, विनिर्देश किए गए हैं, का पालन करने के लिए साधारण प्रकृति की होगी। इन नियमों को संसद या राज्य विधान-मंडल जैसा भी मामला हो, के समक्ष रखे जाने का उपबंध भी है।
विधेयक का खंड 68 केन्द्रीय सरकार को कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रस्तावित विधान के उपबंधों से असंगत और राजपत्र में प्रकाशित उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करने का उपबंध करने के लिए है। ऐसी शक्तियां प्रस्तावित विधान के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रयुक्त नहीं की जा सकेंगी और इस खंड के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

विधेयक का खंड 69 कतिपय अधिनियमतत्त्वों के निर्माण करने के लिए हैं, अर्थात्, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा उसके अधीन की गई बात और कार्रवाईयों की व्यावृति का उपबंध करने के लिए है।
प्रत्यायोजित विधान के बारे में जानन

विधेयक के खंड 5 में यह उपबंधित है कि नियोक्ता किसी कर्मचारी को समुचित सरकार द्वारा क्षेत्र, स्थापन या कार्य के लिए अधिसूचित ऐसी मजदूरी की न्यूनतम दर से कम का संदाय नहीं करेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

2. विधेयक के खंड 6 के उपखंड (5) में यह उपबंधित है कि समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन कारकों को नियंत्र कर सकेगी, जिनसे इस प्रकार नियंत्र न्यूनतम मजदूरी को भिन्न किस्म के कार्यों के लिए गुणा किया जा सकेगा।

3. विधेयक के खंड 9 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा, निम्नतर मजदूरी नियंत करने के लिए सशक्त करता है। उक्त खंड के परंपर के यह उपबंधित है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न निम्नतार मजदूरी नियंत्र की जा सकेगी।

4. विधेयक का खंड 25 विधेयक के अध्याय 3 के उपबंध सरकारी संस्थापनों को आगू िोने से छूट प्रदान करते हैं, जब तक समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी सरकारी स्थापना को ऐसे उपबंध लागू न करे।

5. विधेयक के खंड 45 का उपखंड (1) समुचित सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी राजपत्रित अधिकारी के रैंग से अन्य एक या अधिक प्राधिकारियों को इस विधेयक के उपबंधों के अधिन उद्धृत द्वारा की सुनवाई और विनिवेश करने के लिए नियुक्त करने हेतु सशक्त करता है।

6. विधेयक के खंड 49 का उपखंड (1) समुचित सरकार को, खंड 45 के उपखंड (2) के अधिन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यक्त किसी व्यक्ति द्वारा की गई अपील की सुनवाई के लिए अधिकारिता रखने वाले अपील प्राधिकारी को नियुक्त करने हेतु सशक्त करता है।

7. विधेयक के खंड 51 का उपखंड (1) समुचित सरकार को ऐसे निरीक्ष-सह-सुकारकों की नियुक्ति के लिए सशक्त करता है जो उक्त खंड के उपखंड (4) के अधिन उन्हें प्रदत्त शक्तियों को, यथार्थतिति, ऐसे राज्य या भौगोलिक सीमाओं में अवस्थित स्थापनों के संबंध में, उन्हें समनुदेशित राज्य या ऐसी भौगोलिक सीमाओं में सर्वस्व प्रयोग करें।

8. विधेयक के खंड 51 का उपखंड (2) समुचित सरकार को अधिसूचना द्वारा ऐसी निरीक्षण स्कीम अधिकारित करने हेतु सशक्त करता है, जिसमें वेब आधारित निरीक्षण अनुसूची का सृजन करने के लिए भी उपबंध होगा।

9. विधेयक के खंड 53 का उपखंड (1) समुचित सरकार को केवल पदार्पण हजार रूपए तक के जुर्माने से दंडनीय मामलों की जांच और विनिवेश करने के लिए भारत सरकार के अवर सचिव या राज्य सरकार के समानुपलंक्ति से अत्यून पंक्ति के अधिकारी की
समृद्धि करने के लिए शस्त्र कार्य विधान के उपबंधों को
कार्यान्वित करने वाले अधिकारी विनिमय द्वारा उपलब्ध करे कोई राजपत्र अधिकारी विनिमय द्वारा हेतु सशक्त करता है।

10. विधेयक के खंड 55 का उपखंड (1) समृद्धि करने के लिए उपबंध के उपबंधों के अनुसार अपराधों के प्रशमन के लिए कोई राजपत्र अधिकारी विनिमय द्वारा हेतु सशक्त करता है।

11. खंड 66 का उपखंड (1) समृद्धि करने के लिए उपबंध के उपबंधों के अनुसार अपराधों के प्रशमन के लिए कोई राजपत्र अधिकारी विनिमय द्वारा हेतु सशक्त करता है।
चौथा लेखा वर्ष भी सम्मिलित है, मुज्रा किए जाने के लिए अब्रानीत आवंटनीय अधिशेष से अधिक का उपयोग करने की रीति; (प) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और चौथे लेखा वर्ष तक और जिसमें वह चौथा लेखा वर्ष भी सम्मिलित है, मुज्रा किए जाने के लिए अब्रानीत न्यूनतम रकम या कमी के उपयोग करने की रीति; (फ) धारा 42 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और उक्त धारा की उपधारा (4) में निर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोर्ड, जिसके अंतर्गत धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित उसकी समितियां और उपसमितियां भी हैं, द्वारा प्रक्रिया विनियमित करने की रीति; (ब) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड, जिसके अंतर्गत धारा 42 की उपधारा (11) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित उसकी समितियां और उपसमितियां भी हैं, ऐसे सदस्यों की पदाधिकार; (भ) धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु की दशा में असंवित्त शोध्यों को ऐसे प्राधिकारी के पास जमा करने का प्राधिकार और रीति; (म) धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन अनेक कर्मचारियों के संबंध में एकल आवेदन का प्रयोग; (य) धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन व्यक्ति द्वारा अपील प्राधिकार को अपील करने का प्रयोग; (यक) धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन मजदूरी पट्टिकाओं जारी करने की रीति; (यख) धारा 51 की उपधारा (5) के अधीन निरीक्षक-सह-सूचकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां; (यख) धारा 53 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों की बाबत जांच करने की रीति; (य) धारा 56 की उपधारा (4) के अधीन निर्दिष्ट किसी राजपत्रिक अधिकारी द्वारा अपाध के शमन की रीति; और (य) कोई अन्य विषय, जो प्रत्याविषय विधान के अधीन अपेक्षित हो या निर्दिष्ट किया जाए।

12. खंड 67 के उपखंड (4) में यह उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

13. खंड 67 के उपखंड (5) में यह उपबंधित है कि उक्त खंड के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

14. दे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक व्यौरे के विषय हैं, और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः, विधायी शक्ति का प्रत्याविषय नायक सामान्य प्रकृति का है।